लोक-सभा

वाद-विवाद

तत्वीय माला

खण्ड ९, १९६२/१८८४ (शक)

८ से २० नवम्बर, १९६२/१७ से २९ कार्तिक, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

तीसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ९ में अंक १ से १० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड ९—अंक १ से १०—८ से २० नवम्बर, १९६२/१७ से २९ कार्तिक, १८८४ (शक)]

अंक १—गुरुवार, ८ नवम्बर, १९६२/१७ कार्तिक, १८८४ (शक)	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से १९	१—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २० से ३४	२६—३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४१ और ४३ से ६४	३५—६०
निधन सम्बन्धी उल्लेख	६१
सभा का कार्य—	
प्रक्रिया का सरलीकरण	६१–६२
श्री गु० बसु के चुनाव के बारे म	६२–६३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६३–६९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	६३—६९
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	
गोपनीय सत्र के बारे में	६९–७०
आपात की उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प .	७०—९७
कार्य मंत्रणा समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	९७
दैनिक संक्षेपिका	९८—१०५
अंक २—शुक्रवार, ९ नवम्बर, १९६२/१८ कार्तिक, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या ३५ से ४८	१०८—३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ८३	१३३—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ७० और ७२ से १६४ . .	१५१—९७
श्री कृष्ण मेनन के त्यागपत्र के बारे में . . .	१९७
मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में . . .	१९८—२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२००—०३

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३	२०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	२०३
कार्य मंत्रणा समिति —	
सातवां प्रतिवेदन	२०४
सभा का कार्य—	
प्रक्रिया का सरलीकरण	२०४—०६
श्री गु० बसु के चुनाव के बारे में	२०७—०८
आपात की उद्घोषणा तथा चीन द्वारा अतिक्रमण के बारे में संक	२०८—३९
दैनिक संक्षेपिका	२४०—४८
अंक ३—शनिवार, १० नवम्बर, १९६२/१९ कार्तिक, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर-	
तारांकित प्रश्न संख्या ८४ से ८९, ९१ से ९४ और ९६ से १०७	२४९—८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११४, ११५, ११७ से १२२ और १२४ से १२८	२८१—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६५, १६६, १६८ से १९७, १९९ से २०१, २०३ से २२३, २२६ से २३०, २३२ से २४०, २४३ से २५६, २५८, २५९ और २६१ से २६४	२९०—३२७
रेलवे दुर्घटना समिति के सदस्यों को दिये गये भत्तों के बारे मे	३२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२७—२९
राज्य सभा से सन्देश	३३०
विशिष्ट सहायता विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	३३०
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के उपायों के बारे में वक्तव्य	३३०—३१
रेलवे दुर्घटना समिति के सदस्यों को दिये गये भत्तों के बारे में वक्तव्य	३३१
सभा का कार्य	३३२—३३
महाप्रशासक विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	३३३
आपात की उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प	३३३—८९
दैनिक संक्षेपिका	३९०—९८

विषय	पृष्ठ
अंक ४—सोमवार, १२ नवम्बर, १९६२/२१ कार्तिक, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १४२	३९९—४२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३ से १५३	४२७—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २६७ से २७४ और २७६ से २९८	४३२—४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में पटाखा विस्फोट	४४७–४८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४४८–४९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	४५०
प्राक्कलन समिति—	
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन	४५०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) धातु के टोकन (संशोधन) विधेयक	४५०–५१
(२) पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) विधेयक	४५१
आपात की उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प .	४५१—५१०
दैनिक संक्षेपिका	५११—१४
अंक ५—मंगलवार, १३ नवम्बर, २९६२/२२ कार्तिक, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५४ से १६६ और १७३	५१५—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६७ से १७२	५३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या २९९ से ३४४ और ३४६ से ३६३	५४१—७१
निधन सम्बन्धी उल्लेख	५७१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
माझी और बकुलह स्टेशनों के बीच हुई रेल दुर्घटना	५७१—७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५
तारांकित प्रश्न संख्या ११८२ के उत्तर में शुद्धि	५७६

विषय	पृष्ठ
पैट्रोलियम उत्पादों की संभरण स्थिति के बारे में वक्तव्य . .	५७६–७७
विदेशियों सम्बन्धी विधि (लागू करना तथा संशोधन) विधयक—पुरस्थापित	५७७
विदेशियों सम्बन्धी विधि (लागू करना तथा संशोधन) अध्यादेश १९६२ के बारे म वक्तव्य	५७७–७८
समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित .	५७८
समवाय (संशोधन) अध्यादेश १९६२ के बारे में वक्तव्य	५७९
आपात उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प	५७९–६३६
कार्य मंत्रणा समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	६३६
दैनिक संक्षेपिका .	६३७–४१

अंक ६—बुधवार, १४ नवम्बर, १९६२/२३ कार्तिक, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७४ से १७८, १८५, १७९ से १८१, १८३, १८४, १८६ और १८७	६४३–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८२ और १८८ से १९७	६६६–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३६४ से ४२० और ४२२ से ४२४	६७१–९५
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३	६९५
आपात की उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प	६९५–७४५
दैनिक संक्षेपिका	७४६–४९

अंक ७—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९६२/२४ कार्तिक, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९८ से २०५, २०७, २०८, २०६, २०९, २१०, २१३, २१५ और २१६	७५१–७६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २११, २१४, २१७ और २१८	७७६–७७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२५ से ४६९	७७७–९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	७९८–८००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —	
दसवां प्रतिवेदन	८००

विषय	पृष्ठ
सीमा शुल्क अधिनियम—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य . . .	८००
कार्य मंत्रणा समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	८००–०१
बहु एकक सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	८०१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ .	८०१–१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	८१५–१६
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प	८१६–१७
अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प	८१७–५०
दैनिक संक्षपिका	८५१–५६
अंक ८—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९६२ । कार्तिक १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१९ से २२२, २२४ से २३०, २३६ और २३१ से २३४	८५७–८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२३, २३५ और २३७ से २४२	८८३–८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४७० से ५२६	८८६–९११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९११–१२
राज्य सभा से सन्देश	९१२
भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—सभा पटल पर रखा गया	९१२
सभा का कार्य	९१२–१४
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) उपहार-कर (संशोधन) विधेयक	९१४
(२) भारत की प्रतिरक्षा विधेयक	९१४–१५
(३) परिसीमन आयोग विधेयक	९१६
अध्यादेशों के बारे में वक्तव्य	९१६
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक—पुरस्थापित तथा पारित	९१६–१७
बिजली (संभरण, संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९१७–२२

विषय	पृष्ठ
खंड १ और २	९२२–२४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९२४–२६
समवाय (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	९२६–३३
खंड १ से ३	९३३
पारित करने का प्रस्ताव	९३३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन .	९३३
गैर—सरकारी सदस्या क विधेयक—पुरस्थापित—	
(१) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक (धारा ४ और ६ का संशोधन) (श्री श्याम लाल सर्राफ का)	९३३
(२) सिनेमा के फिल्मों की (अधिकतम) लम्बाई विधेयक (श्री रामेश्वर टांटिया का)	९३४
(३) पुस्तकों और समाचार पत्रों (सार्वजनिक पुस्तकालय) का दिया जाना संशोधक विधेयक (धारा २ का संशोधन) (श्री च० का० भट्टाचार्य का)	९३४
(४) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६ आदि का संशोधन) (श्री श्रीनारायण दास का)	९३४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री दी० चं० शर्मा का)—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्थगित	९३५
बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक (श्री अ० क० गोपालन का)— वापस लिया गया—	
विचार करने का प्रस्ताव	९३५–४२
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) (श्री ज० ब० सिंह बिष्ट का)—वापिस लिया गया—	
विचार करने का प्रस्ताव	९४२–४३
विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) (श्री हेम राज का)—वापिस लिया गया—	
विचार करने का प्रस्ताव	९४५–४६
दैनिक संक्षेपिका	९४७–५२
अंक ९—सोमवार, १९ नवम्बर, १९६२/२८ कार्तिक १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ से २५४, २५६ से २५८, २६१, २५९ और २६०	९५३–७८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५७ और ५५९ से ५६१	९७८–९२
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में	९९३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९९३–९४
राज्य सभा से सन्देश	९९५
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	९९५
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) पां.डिचेरी (प्रशासन) विधेयक	९९५
(२) राज्य सहयोजित बैंक के विविध उपबंध) विधेयक	९९५–९६
(३) अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक	९९६
(४) कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक	९९६
(५) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	९९७
पांडिचेरी (प्रशासन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	९९७–९९
नेफा तथा लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य	९९९–१००२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (लागू करना तथा संशोधन) विधेयक	१००२
विचार करने का प्रस्ताव	१००२–०६
खंड २ से ४ तथा १	१००६–०७
पारित करने का प्रस्ताव	१००७
धातु के टोकन (संशोधन) विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव	१००८–०८
पारित करने का प्रस्ताव	१००८
पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के प्रयोग के अधिकार का अर्जन) विधेयक -	
विचार करने का प्रस्ताव	१००८–१५
खंड २ से १८ और १	१०१५–१६
पारित करने का प्रस्ताव	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६२–६३	१०१६–२६
कार्य मंत्रणा समिति—	
नवां प्रतिवेदन	१०२६
दैनिक संक्षेपिका	१०२७–३१

विषय	पृष्ठ
अंक १०—मंगलवार, २० नवम्बर, १९६२/२९ कार्तिक १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २६९, २७२ से २८२, २८४ और २८६ से २८८	१०३३–६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २८३, २८५ और २८९	१०६१–६३
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६४१	१०६३–९८
नेफा और लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य	१०९८–११०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	११०३–०५
राज्य सभा से सन्देश	११०५–०६
परिसीमन विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	११०६
लोक लेखा समिति—	
पहला प्रतिवेदन	११०६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन	११०६
कार्य मंत्रणा समिति—	
नवां प्रतिवेदन	११०६–०७
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३	११०७–२९
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२—पुरस्थापित तथा पारित	
सीमा शुल्क विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	११२९–३८
दैनिक संक्षेपिका	११३९–४५

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह -।- चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND—LS—III—2294 (Ai) LSD—12-1-63—140

लोक-सभा

सोमवार, १९ नवम्बर, १९६२

२८ कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टैंकों का निर्माण

+

†१२४३. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री उमानाथ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवदी में, जहां टैंक और दूसरे भारी इंजीनियरी उपकरण तैयार करने का प्रस्ताव है, एक कारखाना स्थापित करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२] ।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में उल्लिखित तथ्यों के अतिरिक्त, क्या किसी अन्य एकक में टैंकों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है और क्या पुर्जे एकत्रित किये जा रहे हैं ?

†श्री रघुरामैया : वर्तमान धारणा यह है कि इसे इस कार्य के लिये यथा संभव स्वयं पूर्ण बनाया जाये । आजकल और कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है । टैंकों के बारे में, यदि हम कुछ पुर्जे अन्य किसी स्थान पर अधिक सुविधापूर्ण ढंग से बना सकें तो निश्चय उसका उपयोग किया जायेगा ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार का विचार इस आपात का सामान करने के लिये टैंकों का आयात करने का है ?

†श्री रघुरामैया : यह एक भिन्न प्रश्न होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** : हमें बताया गया है कि इन्डेन्ट दे दिये गये हैं। जहां तक अनुसूची का सम्बन्ध है, कार्य कब आरम्भ होगा और मशीन भारत में कब आयेगी।

†**श्री रघुरामैया** : आशा है कि हम वर्ष १६६५ तक उत्पादन की कोई निश्चित रेखा बना सकेंगे। अभी यही योजना है।

†**श्री भक्त दर्शन** : इस कारखाने में कब वास्तविक उत्पादन होने की आशा है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं यह पहिले ही कह चुका हूं।

†**श्री भागवत झा आजाद**: इस विवरण में उल्लिखित संभावित यत्नों के फलस्वरुप क्या 'टूल रूम' और परियोजना के अन्य संलग्न भागों के वर्ष १६६३ से पहिले चालू होने की कोई संभावना है ?

†**श्री रघुरामैया** : इस में आस्ट्रिया का सहयोग है और अब यह विचार है कि वे कुछ १६६४ में दे देंगे। तत्पश्चात् उत्पादन आरम्भ होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यहां छोटे, माध्यम का भारी किस्म के टैंक बनाये जायेंगे या सब किस्म के बनाये जायेंगे।

†**श्री रघुरामैया** : औसत किस्म के।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि कितने टैंक १६६२ में तैयार हो जायेंगे और कितने टैंक सन १६६३ में तैयार हो जायेंगे ? एक टैंक पर कितना खर्चा पड़ता है। क्या सरकार हैवी टैंक भी बनाना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत डिटेल की बात है।

†**श्री राम नाथन चेट्टियार** : राष्ट्रीय संकट की बात ध्यान में रखकर, सरकार इस मामले को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी और वर्ष १६६५ से पहिले उत्पादन आरम्भ करने के लिये विदेशी सहयोग से आवश्यक पुर्जे व मशीन पहिले भेजने की प्रार्थना करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

दिल्ली में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये मकान

+

†*२४४. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय दिल्ली में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये स्थायी निवास स्थान की व्यवस्था करने की योजना पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) और (ख). हां, श्रीमान्। नई दिल्ली/दिल्ली छावनी में सशस्त्र बल मुख्यालय और उसके संबद्ध एककों के सेवा कर्मचारियों के लिये रिहायशी स्थान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्या पिछले मास, आदि में स्थान की मांग बढ़ गई है और, यदि हां तो, बढ़ी मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय म प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: यदि माननीय सदस्य वर्तमान संकट के कारण जवानों के लिये बढ़ी मांग का उल्लेख कर रहे हैं, तो उस पर अलग विचार किया जा रहा है ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : दो महीने पहिले तक मकानों के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय की कुल मांग कितनी थी और उस में से कितने प्रतिशत मांग पूरी हो गई है ?

†**श्री रघुरामैया** : सशस्त्र बल मुख्यालय के अधिकारियों के लिये विवाहित आवास की आवश्यकता १३९३ है । अविवाहित अधिकारियों और जे० सी० ओ० अधिकारियों के लिये आवास आवश्यकता इस के अतिरिक्त है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मुख्य प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर की दृष्टि से, प्रस्ताव के कब लागू होने की संभावना है और यदि लागू हो गया है, तो प्रतिरक्षा कर्मचारियों के मकान देने के लिये कितना प्रति शत उपलब्ध होगा ?

†**श्री रघुरामैया** : यह प्राथमिकता का प्रश्न है । वर्तमान आपात की दृष्टि से क्या प्राथमिकता दी जा सकती है, यह बात भी विचाराधीन है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या सरकार इन मकानों को सेना श्रमिकों से बनाने पर विचार कर रही है, जैसा कि अम्बाला और फीरोजपुर में किया गया था ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : आजकल नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री बरुआ ।

केन्द्रीय चाय मजूरी बोर्ड

+
*२४५. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चाय बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक आने की आशा है ?

†**अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अभी यह नहीं बताया जा सकता कि बोर्ड अपना कार्य कब पूरा कर सकेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : केन्द्रीय चाय मजूरी बोर्ड के पास मामला किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : बोर्ड की बैठकें हो रही हैं । पिछली बैठक २५ अक्टूबर, १९६२ को बंगलौर में हुई थी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार को विदित है कि मालिक और मजदूर दोनों ही उत्सुक हैं कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें शीघ्र आनी चाहियें क्योंकि आगामी वर्ष के लिए वित्त व्यवस्था करने का उनका यही समय है ?

†**श्री हाथी** : सरकार इससे अवगत है और हमने बोर्ड से अपनी सिफारिशें शीघ्र देने को कहा है ।

†**श्री त्यागी** : श्रीमान्, एक औचित्य के प्रश्न पर । क्या माननीय मंत्री का संबंध अब भी श्रम से है, क्योंकि यह राजपत्रित हुआ था कि वह संभरण मंत्री नियुक्त हो गये हैं ?

†**श्री हाथी** : मैं ने अध्यक्ष महोदय को सूचना दे दी है कि मैं आज श्री नन्दा की ओर से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा ।

†**श्री अ० न० विद्यालंकार** : क्या कोई अन्तःकालीन सिफारिश की गई हैं, और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्री हाथी** : उन्होंने अन्तःकालीन सिफारिशें की हैं जो दो भागों में विभक्त हैं, अर्थात् एक दक्षिण भारत के लिए मद्रास और केरल के लिए, तथा दूसरा भाग आसाम और पश्चिमी बंगाल के लिए । उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजूरियों में वृद्धि दी है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या चाय के बागों में संगठित श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि मजूरी बोर्ड का सदस्य बनाया जायेगा और मजूरी बोड के निर्देश पद क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे काफी आगे बढ़ गये हैं और यह सुझाव देने का समय नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या अन्तःकालीन सिफारिशें चाय के सभी बागों ने लागू कर दी हैं और यदि नहीं, तो लागू नहीं करने वालों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी** : वे लागू हो गई हैं ।

बाल फिल्म संस्था

\+

*२४६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बलुमतारी :
श्री हेमराज :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ९ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल फिल्म संस्था के कार्य की जांच करने में अब तक कितनी प्रगति और हुई है ;

(ख) अब तक की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि जो प्रमुख व्यक्ति इस जांच से सम्बन्धित थे वे अब संस्था से पृथक हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : बाल फिल्म संस्था की कार्यकारिणी परिषद् के अनुरोध पर जिन तीन सरकारी अधिकारियों ने संस्था के कार्य के विभिन्न पहलुओं की जांच की है, उन्होंने अपनी रिपोर्टें संस्था के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी हैं । कार्यकारिणी परिषद् शीघ्र ही इन रिपोर्टों पर विचार करेगी ।

(ग) संस्था के जनरल सेक्रेट्री ने त्याग-पत्र दिया था जो कार्यकारिणी परिषद् ने स्वीकार कर लिया ।

(घ) इस विषय पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा उक्त अधिकारियों की रिपोर्टों की जांच कर लेने के बाद विचार किया जायेगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जांच करने वाले इन तीन अधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं और उन्होंने जो अपनी जांच रिपोर्ट दी है उस की प्रमुख बातें क्या-क्या हैं ?

श्री शाम नाथ : जो तीन आफिसर्स इस जांच के लिए एपायेंट हुए थे उन के नाम ये हैं, श्री वी० एस० टी० चारी जो कि फाइनैंशियल ऐडवाइजर हैं, मिस्टर जे० जे० करम जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं और मिस्टर एस० वी० रानाडे जो कि कंट्रोलर आफ फिल्म्स डिवीज़न हैं । इन की रिपोर्ट से मालूम होता है कि सोसाइटी के कामों के काफ़ी बेकायदगियां थीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस में कुछ पैसे के घुटाले या गड़बड़ के बारे में बतलाया है । लेकिन जब जनरल सेक्रेटरी त्यागपत्र दे चुका है और वह स्वीकार कर लिया गया है तो उस का क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा और कैसे उस से वह पैसा वसूल किया जायेगा ?

श्री शाम नाथ : इस चीज़ पर तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल गौर करेगी और उस के बाद जो कुछ उनके फैसले होंगे वह गवर्नमेंट के पास आयेंगे और गवर्नमेंट भी उन्हें देखेगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्योंकि यह रिपोर्ट प्रशासी परिषद् को भेज दी गई है, क्या सरकार ने निश्चय कर लिया है कि इस सब के लिए प्रशासी परिषदें उत्तरदायी नहीं है ?

†**श्री शाम नाथ** : ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है । हमें प्रशासी परिषद् से जब वे रिपोर्ट उनके तत्सम्बन्धी निश्चय के साथ मिलेंगी, तब हम मामले पर विचार करेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता है इस सोसाइटी के किन्हीं अधिकारियों को क्या मुअत्तिल किया गया है या और कोई कार्रवाई उन के खिलाफ की गई है ?

श्री शाम नाथ : नहीं, किसी अधिकारी को मुअत्तिल नहीं किया गया है । सिर्फ सेक्रेटरी ने अपना त्यागपत्र दिया था जो कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने मंजूर कर लिया ।

†**श्री शाम लाल सराफ** : इस दृष्टि से कि ये त्रुटियां अब विदित हो गई हैं, क्या इस संस्था का कार्य रुक गया है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने आगे क्या कार्रवाई की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाम नाथ** : संस्था का कार्य नहीं रुका है। श्री सुब्रह्मण्यम संस्था के कार्य की देखभाल कर रहे हैं। श्री इज़रामीर को, नियमित महासचिव की नियुक्ति न होने तक संस्था की फिल्मों का अवैतनिक निर्माण प्रभारी नियुक्त किया गया है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार को यह मालूम हो गया है और प्रतिवेदन में जो बातें कही गई हैं उन से फिल्म सोसाइटी की गड़बड़ियों के बारे में काफ़ी पता चला है और उन पर विचार करने में समय लगेगा तो ऐसी स्थिति में जो लोग इस के लिए ज़िम्मेदार हैं उन को मुअत्तिल करने या दूसरी कार्यवाही करने के बारे में क्यों विचार नहीं किया गया ?

श्री शामनाथ : तीन आफिसर्स जिनको कि इस काम के लिए एपायेंट किया गया था उनकी रिपोर्ट पहले एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के पास जानी थी क्योंकि एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के कहने पर गवर्नमेंट ने तीन आफिसर्स को ऐसी जांच के लिए दिया था तो इसलिए जब उनका कोई फैसला होगा उस के बाद गवर्नमेंट गौर करेगी।

द्वितीय बांडुंग सम्मेलन

†*२४७. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री यु० द० सिंह :
श्री पे० वेंकटासुब्बया :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री कजरोलकर :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री बूटा सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने अफ्रीका-एशिया देशों के द्वितीय बांडुंग सम्मेलन आयोजित करने के बारे में प्रेसिडेंट सुकर्ण के प्रस्ताव पर क्या निश्चय किया है ; और

(ख) क्या रूस को आमंत्रित करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) द्वितीय बांडुंग सम्मेलन करने के बारे में अभी किसी पक्के निश्चय की हमें जानकारी नहीं है। इस मामले पर विचार करने

†मूल अंग्रेजी में

के लिए रुचि लेने वाले देशों की एक प्रारम्भिक बैठक बुलाने का विचार था, परन्तु उस पर भी विभिन्न मत प्रकट हुए हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने सुझाव दिया है कि अभी बैठक से कोई सहायता नहीं मिलेगी और यह किसी अन्य अधिक अनुकूल समय के लिए स्थगित की जा सकती है।

(ख) हमें ऐसे किसी प्रस्ताव का ज्ञान नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : अभी प्रधान मंत्री जी यूरोप की यात्रा से वापिसी पर आते हुए इजिप्ट में ठहरे थे और श्री नासिर से भेंट की थी तो क्या उनसे भी इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा हुई थी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जी हां, कुछ जिक्र हुआ था और उनकी भी राय नहीं थी कि इस वक्त कांफ्रेंस करना मुनासिब होगा।

श्री विभूति मिश्र : बांडुंग कांफ्रेंस किन कारणों से सरकार करना उचित नहीं समझती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस वक्त सारी वजूहात में नहीं जाना चाहता। लेकिन हमारे और चीन के दरमियान जो लड़ाई चल रही है वही कारण ऐसी कांफ्रेंस न करने के लिए काफी है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान नाभिकीय परीक्षण विरोधी आन्दोलन के सभापति द्वारा बर्मा, श्री लंका और इण्डोनेशिया को दिये गये उस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें चीन-भारत विवाद सम्बन्धी दूसरा बाण्डुंग सम्मेलन बुलाने को कहा गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : चीन-भारत विवाद सर्वथा एक भिन्न मामला है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि वर्तमान राजनीतिक वातावरण में, केवल भारत ही नहीं अपितु अन्य देश भी चीन को अनुचित महत्व देने के पक्ष में नहीं हैं जो कि वह दूसरा बाण्डुंग सम्मेलन बुलाने से निश्चय ही प्राप्त करना चाहेगा, और यदि हां, तो क्या अन्य देशों ने अपनी प्रतिक्रिया बता दी है या उन्होंने इस मामले पर अपने विचार हमारी सरकार को बता दिये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि अनेक देश इस कांफ्रेंस के निकट भविष्य में बुलाने के पक्ष में नथे जिसके अनेक कारण थे। हां, चीन के साथ हमारे युद्ध के बारे में अन्तिम घटनायें उस समय न थीं। ये बाद की घटनायें हैं। किन्तु, इन घटनाओं से तो अब ऐसी कान्फ्रेंस करना और भी अनुचित हो गया है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : प्रथम बाण्डुंग कांफ्रेंस में भाग लेने वाले कितने देशों ने चीन के साथ इस विवाद में भारत का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया है और क्या उनमें से किसी ने चीन का समर्थन किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं संख्या नहीं बता सकता। उनमें से अनेक ने हमारा समर्थन किया है और अनेक प्रायः चुप हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बांडुंग सम्मेलन में जो राष्ट्र सम्मिलित हुए थे यह सही है जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कोई सम्मेलन बुलाना सम्भव नहीं हो सकेगा लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए हमारी ओर से कोई यत्न किया जा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सहानुभूति प्राप्त करने का यत्न होता ही जाता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा अभिप्राय है कि क्या विशेष यत्न किया जा रहा है...?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न

पाकिस्तानियों द्वारा राजस्थान से भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण

+

†*२४८. { **श्री भागवत झा आज़ाद** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यु० द० सिंह :
श्री पे० वेंकटासुब्बया
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री बसुमतारी :
श्री तन सिंह :
श्री प० ला० बारूपाल : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिवीजन के राजस्थान सशस्त्र पुलिस का एक प्लाटून कमांडर और तीन सिपाही गत सितम्बर में पाकिस्तानी सीमा सेना द्वारा पकड़ लिये गये थे; और

(ख) यदि हां तो इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

***वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) थल नियम करार के अनुसार भारतीय सीमा पुलिस ने तत्काल पाकिस्तानी रेंजर्स से वार्ता की और एक संयुक्त जांच के बाद पकड़े गये सभी व्यक्ति लौटा दिये गये और उनके हथियार, गोली आदि भी वापस दे दी गई। यह सब कार्य ८ और ९ अक्टूबर, १९६२ को हुआ था।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या वे अपने अपहरण कार्य को न्यायोचित सिद्ध करने का कोई कारण बता सके ?

†**श्री दिनेश सिंह** : उन्होंने कुछ तर्क दिया था, अर्थात्, इन व्यक्तियों ने उनके राज्य क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया। परन्तु कोई मान्य तर्क न था।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या उन्होंने मुक्ति के बाद, अर्थात् उन्हें हमें लौटाये जाने के बाद अमानवीय व्यवहार की शिकायत की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : नहीं, श्रीमान्। अमानवीय व्यवहार की कोई शिकायत नहीं की गई।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, कुल कितने दिनों तक हमारे अफसरान और सैनिकों को उनकी कैद में रहना पड़ा और क्या उसके लिए कोई मुआविजे की भी मांग की गई है?

श्री दिनेश सिंह : यह तो इसी जवाब से जाहिर हो गया है कि सितम्बर की १८ तारीख को वे पकड़े गये थे और अक्तूबर की ८ और ९ तारीख को वे छोड़े गये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या विशेषकर वर्तमान संकट की दृष्टि से ऐसी भद्दी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है क्योंकि इनसे निश्चय ही स्थिति और बिगड़ती है?

†**श्री दिनेश सिंह** : हम इन घटनाओं को प्रोत्साहन नहीं देते और हम निरन्तर ध्यान रखते हैं कि ऐसी कोई घटना न हो।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं जानना चाहता हूँ कि इस संकट को ध्यान में रखकर क्या सरकार ने इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से वार्ता की है, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान सरकार ही अधिक दोषी है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ऐसी प्रत्येक घटना पर पाकिस्तान सरकार से वार्ता की जाती है। हमारी साधारण इच्छा है कि हम घटनायें न होने दें और सीमा क्षेत्र शान्त रहे तथा पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्ध रहें। इन मामलों में एक प्रक्रिया या थल नियम निश्चित है। उसका पालन किया गया था और उसके परिणामस्वरूप ये व्यक्ति छोड़े गये थे।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या सरकार के पास कोई ऐसी भी सूचना आई है कि पाकिस्तान में पनाह लेते वाले भारतीय डाकुओं और पाकिस्तानी डाकुओं ने मिल कर गत सप्ताह बीकानेर जिले में कोई १०, १२ डाके डाले हैं और भारतीय इलाके से २१ ऊंट पाकिस्तान ले गये है?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो इंडियन नेशनल्स के बारे में है।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस के लिये पाकिस्तान सरकार से कोई हरजाना मांगा गया है और आगे इस तरह की घटनायें न हों क्या इसके लिये आवश्यक सावधानी बरती गई है?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सवाल हो चुका।

अश्लील फिल्म पोस्टर

\+

*२४९. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अश्लील फिल्म पोस्टरों की जांच के लिये नियुक्त समिति ने इस बीच और क्या प्रगति की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कलकत्ता तथा अन्य फिल्म निर्माण के केन्द्रों में भी ऐसी समितियां स्थापित करने के बारे में क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) इस समिति को जिस उद्देश्य से नियुक्त किया गया था, उसकी अब तक कहां तक पूर्ति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) समिति की ५ बैठकें और हुई हैं और उस ने ११ फ़िल्म पोस्टरों की, जो उस के सामने पेश हुए थे, जांच की और उन्हें स्वीकृति प्रदान की ।

(ख) अन्य फ़िल्म निर्माण केन्द्रों में ऐसी ही समितियां स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) इतनी जल्दी कोई राय क़ायम नहीं की जा सकती परन्तु समिति का पोस्टर निर्माताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : कमेटी के कार्य से ऐसा मालूम पड़ता है कि यह बड़े इत्मीनान के साथ और नज़ाकत के साथ अपना काम कर रही है । ऐसी हालत में क्या इस में कुछ तेज़ी लाने की कोशिश की जायेगी ?

श्री शाम नाथ : मैं समझता हूं कि यह कहना सही नहीं है कि कमेटी ने अपने काम में कोई देरी की है । यह कमेटी जनवरी में मुकर्रर हुई थी और उस के बाद कुछ जो प्रिलिमनरी चीज़ें थीं, उन पर गौर करने के बाद इस कमेटी ने कई मीटिंगें कीं और उनमें जो पोस्टर वगैरह पेश हुए उन को देखा और जो कुछ मोडिफिकेशन वगैरह उस ने मुनासिब समझीं, वे तजवीज़ कीं ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न के "ख" खंड के उत्तर में बताया गया है कि कलकत्ता या दूसरे स्थानों में जहां फ़िल्में बनती हैं, इस तरह की कोई समिति नियुक्त करने का विचार नहीं है । कमेटी की जब बम्बई में स्थापना की जा सकती है तो और जगहों पर क्यों नहीं की जा सकती है ?

श्री शाम नाथ : इस की वजह यह है कि १९५९ में बंगाल गवर्नमेंट ते अपनी एक कमेटी बना दी थी । क्योंकि बम्बई में अभी हम ने कमेटी बनाई है, इसलिये उस के काम को देखने के बाद फैसला किया जायगा कि आया इस तरह की कमेटियां और सैंटर्ज़ में भी कारामद साबित हो सकती हैं या नहीं ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्योंकि सरकार के विचारानुसार इस समिति के प्रयत्न सराहनीय हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे इश्तिहारों के प्रदर्शन में कोई कमी हुई है ?

†**श्री शाम नाथ** : हां, महत्वपूर्ण सुधार हुआ है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस समिति ने अश्लील इश्तिहारों की क्या परिभाषा बनाई है ? किसी इश्तिहार को अश्लील किस आधार पर घोषित किया जाता है ?

†**श्री शाम नाथ** : जो इश्तिहार जनता रुचि या भावनाओं के अरुचिकर हो या अश्लील या फाश हो, उन्हें यह समिति अस्वीकार कर देती है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : जो इश्तिहार छप चुके हैं, यह उन्हें प्रतिबन्धित करने का प्रश्न नहीं है । क्या समिति ने सरकार को कोई ऐसा सुझाव दिया है जिससे भविष्य में इश्तिहारों पर प्रतिबन्ध लग जायें और जिसे सरकार लागू करेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री शाम नाथ** : इस समय ऐसे इश्तिहारों को प्रतिबन्धित करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है । समिति का उद्देश्य उत्पादकों का स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्राप्त करके असभ्य तथा फाश इश्तिहार छापने की प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि से कुछ कार्य करना था । मैं समझता हूं कि उत्पादक इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि समिति ने लाभदायक कार्य किया है । भाग (ख) कलकत्ता तथा अन्य फिल्म निर्माण केन्द्रों का उल्लेख करता है । उन्होंने ऐसे ही अन्य निर्माण केन्द्रों के लिये ऐसी समितियां क्यों नहीं बनाई हैं ?

†**श्री शाम नाथ** : हम इस बम्बई समिति के कार्य की जांच कर रहे हैं । मद्रास के बारे में हमें किसी अश्लील इश्तिहार की शिकायत नहीं मिली है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह जो जांच समिति मंत्रालय ने बनाई है, इस के सदस्य कौन कौन हैं और क्या मंत्रालय ने उस को इस प्रकार के कोई निर्देश दिये हैं कि इतने समय में वह अपने जांच कार्य को समाप्त कर ले ?

श्री शाम नाथ : इस कमेटी के छः मेम्बर हैं । जो कंट्रोलर आफ फिल्म डिविज़न हैं, वह इस के चेयरमैन हैं । मि० महबूब खां, मि० जे० वो० एच० वाडिया, मि० विजय भट्ट, मि० बी० आर० चोपड़ा और श्री के० एम० मोदी, इस के मेम्बर हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : सभी निर्माता ?

†**श्री शाम नाथ** : हां, श्रीमान, पांच निर्माता इस के सदस्य हैं और फिल्म डिविजन के नियंत्रक इस समिति के सभापति हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों के आचरण के ऊपर दुष्प्रभाव डालते वाले जो पोस्टर हैं, क्या उन के ऊपर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री शाम नाथ** : यह समिति इसी कार्य के लिये बनाई गई थी ।

श्री यशपाल सिंह : कैपिटल को कलंकित करते वाले जो अश्लील चित्र हैं, उनकी रोकथाम करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री शाम नाथ : कैपिटल का जहां तक ताल्लुक है, दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर को इस सिलसिले में पूरा अख्तयार है और कारपोरेशन की हदूद के अन्दर जो पोस्टर वगैरह लगते हैं, कानून के मातहत उन की जांच पड़ताल की जाती है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि इस समिति ने अब तक १२ इश्तिहारों की जांच की है । क्या समिति को १२ इश्तिहार दिये गये थ या अधिक इश्तिहार दिये गये थे, परन्तु केवल १२ की जांच हुई है ।

†**श्री शाम नाथ** : मैंने यह नहीं कहा कि समिति को केवल १२ इश्तिहार दिये गये थे । मैंने कहा था कि समिति की अब तक ९ बैठकें हुई हैं और १७ इश्तिहार स्वीकृत हुए हैं । संभव है कि समिति को बहुत अधिक इश्तिहार दिये गये हों ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दावा आयुक्तों के रूप में सरपंच

†*२५०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत सरपंचों को दावा आयुक्त नियुक्त करते के लिये राज्य सरकारों को इजाजत देने के पक्ष में है ;

(ख) यदि हां, तो उन के द्वारा लिये जाने वाले दावों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जायगी ;

(ग) क्या राज्य सरकारों से कोई सुझाव है कि न्याय पंचायतों को दावा प्राधिकार बना दिया जाय ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : (क) राज्य सरकारें अपनी आवश्यकतानुसार न्यूनतम मजूरी अधिनियम संशोधन कर सकती हैं। अतः दावा आयुक्तों के रूप में सरपंच नियुक्त करते के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) इस का निश्चय करना राज्य सरकार का काम है।

(ग) हां, महाराष्ट्र सरकार का एसा सुझाव है।

(घ) विभिन्न राज्यों में पंचायत संगठनों के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखकर, यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ना होगा कि वे इस का निश्चय करें।

बर्मा में भारतीय

†*२५१. **श्री कोया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बर्मा में भारतीय नागरिकों की क्या संख्या है ;

(ख) कितने भारतीयों ने अब तक बर्मा की नागरिकता के लिय आवेदन-पत्र भेजे हैं और कितने व्यक्तियों ने नागरिकता मिली ;

(ग) भारतीय उदभव के राज्यविहीन नागरिकों की संख्या क्या है ; और

(घ) इन राज्यविहीन व्यक्तियों की भारत सरकार किस प्रकार सहायता करेगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) १,८०,००० (लगभग)।

(ख) लगभग ३५,००० ने बर्मा की नागरिकता के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे, उन में से लगभग ७,००० स्वीकार गये हैं।

(ग) लगभग ३,७०,००० व्यक्तियों के पास, जो भारतीय उद्भव के हैं, कोई नागरिकता पत्र नहीं हैं। इस संख्या में से लगभग १,००,००० व्यक्ति बर्मा की नागरिकता के लिए प्रार्थना करने के पात्र हैं। शेष २,७०,००० को नागरिकताहीन कहा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) भारत सरकार ने रंगून में भारतीय राज दूतावास को अधिकार दे दिया है कि वह विद्यमान नियमों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को जो भारतीय नागरिका लेना चाहें उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर कर ले। राजदूतावास को अनुदेश दिया गया है कि वह नियमों का निर्वचन तथा कार्यान्विति सहृदयता से करे। बर्मा सरकार ने रंगून में भारतीय राजदूतावास को आश्वासन दिया है कि वे बर्मा की नागरिकता के लिए प्रार्थियों के प्रार्थनापत्रों की जांच में शीघ्रता करेंगे। फिर, राजदूतावास ने विदेश-कार्यालय से प्रार्थना की है कि वे इस बारे में अपने नियमों को ढीला बनावें ताकि बर्मा की नागरिकता चाहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति प्रार्थना पत्र दे सकें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या जनरल नि० विन की वर्तमान सरकार की नीति या आचरण इस समस्या के बारे में उनकी पूर्वगामी सरकार के आचरण के अपेक्षा अधिक अनुकूल है और यदि हां, तो क्या दोनों देशों में सरकारी स्तर पर या अन्य किसी स्तर पर कोई वार्ता हुई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुख्य उत्तर के अन्तिम भाग में प्रक्रिया में शीघ्रता करने के लिए रंगन में राजदूतावास द्वारा किये गये प्रयास का उल्लेख है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई वार्ता हुई है। राजदूतावास के अनुदेश भिन्न हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक सरकार के आचरण की दूसरी सरकार के आचरण से तुलना करना और यह कहना कि एक दूसरे की अपेक्षा अधिक अनुकूल है, बहुत मुश्किल है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कम से कम मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया जा सकता है। क्या दोनों देशों के बीच कोई वार्ता हुई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हां, मुख्य उत्तर के लगभग अन्त में मैंने कहा था कि हमारे राजदूत ने बर्मा सरकार से वार्ता की थी और आश्वासन दिया गया है कि नियमों का उदार निर्वचन किया जायेगा प्रक्रिया में शीघ्रता की जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात की दृष्टि से कि बर्मा में इन भारतीयों को रहने के परमिट का नवीकरण कराने के लिए बहुत अधिक शुल्क देना पड़ता है और इस कार्य में असाधारण विलम्ब भी होता है, क्या यह विशेष बात बर्मा सरकार को बताई गई है, और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री रती लक्ष्मी मेनन** : ये नियम केवल भारतीयों पर ही नहीं परन्तु सब विदेशियों पर लागू होते हैं। इस प्रकार, हम कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर सकते।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार को उस नियम में ढील पाने में कोई सफलता मिली है जो भारत को बचत राशि भेजने के बारे में बनाया गया था और जिसमें यह राशि लगभग ३० रु० आदि प्रति मास निर्धारित की गई थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : २० रु० प्रति मास।

†**श्री रंगा** : अब यह घट कर २० रु० मासिक हो गई है। क्या इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में कोई सुधार होने की संभावना है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसका उत्तर में इस कारण नहीं दे सकी थी कि यह निश्चय करना बर्मा सरकार का काम है कि वह अपनी विदेशी मुद्रा संसाधन स्थिति के आधार पर विदेशों को धन प्रेषण करने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : क्या हम इस मामले के बारे में समय समय पर अभ्यावेदन नहीं कर रहे हैं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । प्रश्न यह है कि क्या हमने यह सुनिश्चित करने की कार्यवाही की है कि यह नियम बहुत कट्टरता से लागू न किया जाये, और धन राशि बढ़ा दी जाये?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : समय समय पर ये सब बातें उठाई जाती हैं । परन्तु हमें सफलता नहीं नहीं मिली है । बर्मा सरकार अपनी सुविधानुकूल कार्यवाही करती है, विदेशियों की सुविधानुकूल नहीं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या ऐसे भारतीय नागरिक, जो अब बर्मा में हैं और जिन्हें नागरिकता-हीन रजिस्टर किया गया है, व्यापार कर रहे हैं या वहां उनकी कोई अचल सम्पत्ति है ? क्या इस बारे में कोई जांच की गई ह ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : बर्मा में तीन श्रेणी के भारतीय रहते हैं : प्रथम कृषक, द्वितीय व्यापारी और तृतीय सरकारी कर्मचारी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : बर्मा में भारतीय राजदूतावास को भारतीय नागरिकता के लिए कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, कितने मामलों में निर्णय हो गया है और कितने अनिश्चित पड़े हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मेरे पास उनकी संख्या नहीं है जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए प्रार्थना की है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या यह सच है कि पहले बर्मा में कार्य करने वासू भारतीय नागरिकों को, जो कुछ समय के लिये भारत आये थे, बर्मा जाने के लिए बर्मा सरकार से नये प्रवेश पत्र नहीं मिल रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उन्हें पुनः प्रवेश पत्र के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा ।

रोजगार तथा जनसंख्या

†*२५२. {
+
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमा नाथ :
श्री यश पाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६१ की जनसंख्या के प्रतिवेदन में इस बात पर ध्यान दिया है कि जनसंख्या के साथ साथ रोजगार की वृद्धि नहीं हुई है ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) और (ख). सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय रोजगार की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में १९६१ की जनगणना की बातों पर ध्यान दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** : जिन लोगों को रोजगार दिया गया है और जो लोग रोजगार चाहते हैं उनमें अब सरकार की राय के अनुसार कितना फर्क है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : स्थिति यह है कि लगभग ४३·५ प्रतिशत जनसंख्या मजदूरों की है जिनमें काम करने वाले और बेरोजगार दोनों ही हैं। उस पर ध्यान दिया गया है।

†**श्री दाजी** : यह अच्छी बात है कि सरकार ने उस पर ध्यान दिया है। अब इस बात के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं कि यह अन्तर तीसरी योजना की अवधि समाप्त होने तक पूरा कर दिया जाये ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्**: वास्तव में कोई फर्क नहीं है। उस दृष्टि-कोण से, १९५१ से १९६१ तक रोजगार में वृद्धि की दर जनसंख्या की वृद्धि की दर से कहीं अधिक है। जनसंख्या की वृद्धि और रोजगार में वृद्धि की तुलना नहीं की जानी चाहिये क्योंकि जनसंख्या में बूढ़े, विद्यार्थी और कमजोर लोग शामिल होते हैं जो रोजगार की श्रेणी में नहीं आते।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : रोजगार कम करने और वर्तमान संकटकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए क्या ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में भी विकास की कोई नयी योजनाएं आरम्भ की गयी हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : जी हां, ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक छोटे छोटे उद्योग चालू किये गये हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मुझे ज्ञात हुआ है कि जनसंख्या में बताये गये बेरोजगारी के आंकड़ों और योजना आयोग के अनुमान में अन्तर है। क्या इस अन्तर का कारण मालूम करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : ऐसा नहीं है। वास्तव में जनसंख्या गणना ४३ करोड़ ४० लाख के बजाय ४३ करोड़ ९० लाख है। हमने गोआ, दमन, दीव और काश्मीर की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। बेरोजगारी के सम्बन्ध में योजना आयोग के आंकड़े बिलकुल ठीक हैं। जनसंख्या की वृद्धि के मामले में ही थोड़ा फर्क है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या खेतिहर जनसंख्या के सम्बन्ध में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के अवसरों में कोई वृद्धि हुई है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं आंकड़ों के ब्यौरे नहीं बता सकता। लेकिन सम्पूर्ण रूप से वह ३३·८१ प्रशिशत है।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : लोगों का गांव छोड़ कर शहरों में जाकर बसना रोकने के लिए और उन्हें वहीं पर रोजगार देने के लिए इस मंत्रालय ने अभी हाल में कौन सी योजनाएं चालू की हैं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : ग्रामीण उद्योगों का कार्यक्रम है।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : वहां कितने प्रतिशत खपा लिये गये हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। मैं प्रतिशत नहीं बता सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वासुदेवन् नायर : १९६१ की जनगणना में यह बताया गया है कि देश के कुछ क्षेत्रों में ३० प्रतिशत या उससे भी अधिक, जनता बेरोजगार है। खास कर ऐसे क्षेत्रों में सघन कार्य करने के लिए कोई विशेष योजना है ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जी हां, उन पर बराबर ही विचार किया जाता है।

जाली पासपोर्ट

\+

†*२५३. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :

क्या प्रधान मंत्री ६ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जाली ब्रिटिश पासपोर्ट" धारी के मामले की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) क्या अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। अभी इस मामले की जांच हो रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय बतला सकेंगे कि ऐसे कितने लोगों का पता चला है जिन्होंने जाली पासपोर्ट बनाये हैं या बनाने के काम में लगे हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो एक केस के सम्बन्ध में था, लेकिन आप सारे केसेज के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ?

†श्री म० ला० द्विवेदी: मैंने पूछा था क्या इसके अलावा और भी कोई केस था जिसके बारे में मंत्रालय को पता लगा ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, सदन की पिछली बैठक में मैंने पूरा विवरण माननीय सदस्यों के सामने रखा था, जिसमें से दो केसेज के मुकदमे चल रहे हैं। एक तो यह है और एक और है जिसमें करीब ९४ आदमियों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जो यह ब्रिटिश पासपोर्ट जाली बनाया गया, इस प्रकार का कार्य किसी प्रदेश में विशेष रूप से हुआ है ?

श्री दिनेश सिंह : जो ब्रिटिश पासपोर्ट जाली बनाये गये, उन में से तो यह एक ही मामला हमारी निगाह में आया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैंने प्रदेश के नाम के सम्बन्ध में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : इस के लिये विशेष रुप से क्या कहा जा सकता है क्योंकि एक ही तो केस नोटिस में आया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में जांच पड़ताल करने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

श्री दिनेश सिंह : जांच करने में इतनी ज्यादा देरी नहीं हो रही है। चूंकि यह ब्रिटिश पासपोर्ट था इसलिये हमको देखना पड़ता है कि किस तरह से उन्होंने उस को इस्तेमाल किया।

जकार्ता में भारतीय दूतावास का भवन

+

†*२५४. { **श्री रा० शि० पांडेय :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जकार्ता में भारतीय दूतावास के लिये कुछ भवन १९५५ और १९५६ में ७ लाख रुपये में ख़रीदे गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि इसी अवधि में दूतावास ने उपरोक्त सम्पत्ति की रजिस्ट्री की फीस आदि के लिये एक स्थानीय वकील को ८,३३४ रुपये पेशगी दिये थे;

(ग) क्या यह सच है कि १९६१ के अन्त तक सम्पत्ति की न तो रजिस्ट्री की गई और न ही वकील से पेशगी रुपया वापिस लिया गया अथवा उसका हिसाब मांगा गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) सिर्फ दो इमारतें ख़रीदी गई थीं, एक राजदूत के रहने के लिए और दूसरी प्रथम सचिव के रहने के लिए। पहली इमारत की लागत ६,२५,००० रुपया और दूसरी की ८०,००० रुपया है।

(ख) जी हां।

(ग) इन दो इमारतों में से एक अर्थात् राजदूत का निवास स्थान इस वर्ष पंजीकृत किया गया था। वकील के पास हिसाब-किताब तय करना तब तक के लिए मुलतवी रखा गया था जब तक कि दूसरी इमारत का पंजीकरण न हो जाये।

(घ) पंजीकरण में देर इस कारण हुई है कि इन्डोनेशिया में मलभूत सम्पत्ति विधि अनिश्चित थी और उस संगत विधि के प्रकाशन के बाद भी, जहां तक जकार्ता के नगरीय क्षेत्र का सम्बन्ध है इस विधि को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में विस्तृत विनियम अभी तक नहीं बनाय गये हैं। एक इमारत अर्थात् प्रथम सचिव का निवासस्थान जकार्ता के उपनगर में स्थित था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि मि० सोंधी के वक्तव्य के बाद इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास पर जो आक्रमण हुआ था, यह वही भवन है या कोई और। अगर वही है तो इस में कितनी हानि हुई ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इस में दो इमारतें सम्बद्ध हैं। राजदूत का निवासस्थान पंजीबद्ध हो चुका है। दूसरी इमारत का पंजीबद्ध नहीं हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि जब वहां विशेष खेलकूद हुए थे . . . .

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** वह वही मकान था।

---

†मूल अंग्रजी में

युद्धपोत

+

†*२५६. { श्री गुलशन :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में माझगांव गोदी तथा कलकत्ता में गार्डन रीच कारखानों में, जो उसने हाल में प्राप्त किये हैं, बड़े युद्धपोत बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक काम आरम्भ होने की आशा है; और

(ग) इन दो कारखानों में से किसी भी कारखाने में पहिले पोत का निर्माण कब तक होने की संभावना है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) से (ग). जी हां। सरकार ने माजगांव गोदी लिमिटेड, बम्बई, में बड़े युद्धपोत तैयार करने का निश्चय किया है और वहां वह काम आरम्भ करने के लिए विद्यमान सुविधाएं बढ़ाने की एक योजना भी मंजर करली है । इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि पहला युद्धपोत कब तक तैयार हो जायेगा ।

†श्री गुलशन : क्या सरकार ने युद्धपोत केवल देशी साधनों से ही तैयार करने का निश्चय किया है या भारत सरकार ने उसमें सहयोग देने या सहायता देने के लिए किसी विदेशी सरकार से भी कहा है ?

†प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : हम आवश्यक विदेशी सहयोग के विषय में छानबीन कर रहे हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सिर्फ माजगांव गोदी का ही विस्तार किया जायगा या गार्डन रीच वर्कशाप का भी विस्तार किया जायगा और क्या ये युद्धपोत वहां भी तैयार किये जायेंगे ?

†श्री रघुरामैया : जी हां, दोनों का ही विस्तार किया जायगा ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस सहयोग में वे तकनीकी कर्मचारी, तकनीकी मार्गदर्शन और कच्चा माल भी शामिल हैं जो इस देश में उपलब्ध न हों ?

†श्री रघुरामैया : सहयोग में वह हर चीज शामिल होगी जो इस देश में न मिले, चाहे वह तकनीकी संसाधन हों या और कोई चीज ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस काम को एक्सपीडाइट करने के लिए सरकार ने क्या स्टेप लिये हैं ?

†श्री रघुरामैया : यह बिलकुल सही है कि संकट को देखते हुए हमें उसमें शीघ्रता करनी होगी ।

भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी बुर्ज

†*२५७. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा अनेक विरोधों के बावजूद पाकिस्तान ने पंजाब के साथ पश्चिम पाकिस्तान की सीमा पर तीन प्रेक्षण बुर्ज अभी तक गिराये नहीं हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान करार पूरा न करने के लिये पाकिस्तान ने क्या कारण बताये हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) भूमि-नियमों के इस स्पष्ट उल्लंघन के लिए पाकिस्तानी पदाधिकारी कोई कारण नहीं बता सके हैं । कुछ कारण अवश्य बताये गये हैं लेकिन वे इतने छिछले हैं कि १९६१ के भूमि नियम करार की अत्यावश्यक शर्तों का पालन करने में पाकिस्तान की असमर्थता के लिए उन्हें उचित नहीं समझा जा सकता ।

†श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम ने अपने प्रेक्षण बुर्ज कब गिराये, पाकिस्तानी बुर्ज गिराये जाने के बाद या उससे पहले ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पाकिस्तान की ओर के दो बुर्ज गिराने का काम जनवरी, १९६२ के पहले हफ्ते में शुरू किया गया था और १० जनवरी, १९६२ को पूरा हो गया था ।

†श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या दोनों सरकारों के बीच ऐसा कोई करार है जिससे दोनों देशों को अपनी ओर की सीमा रेखा से आगे १५० गज तक बुर्ज बनाने की अनुमति है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : करार यह था कि विधिवत् सीमा रेखा से किसी ओर भी १५० गज तक बुर्ज न बनाये जायें ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को ऐसी कोई खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान और आसाम और त्रिपुरा के बीच पूर्व की ओर इसी प्रकार के बुर्ज और पिल-बॉक्स बनाये हैं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे सूचना चाहिये ।

पटसन मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

+

†*२५८. {श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

†अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) बोर्ड उन प्रश्नों का विवेचन कर रहा है जिनके लिए विभिन्न हितों के निवेदनों की सावधानी से छानबीन करना जरूरी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटसन मजूरी बोर्ड का अन्तरिम पंचाट

†*२६१. श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पटसन मिलों में पटसन मजूरी बोर्ड के अन्तिम पंचाट को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†वित्त तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). दो मिलों ने सिफारिश पूरी तरह से और एक ने आंशिक रूप से कार्यान्वित की है । बाकी एक मिल में कार्यान्विति के प्रश्न पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न संख्या २५८ के सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से हित काम में रुकावट डाल रहे हैं और इसकी स्वीकृति नहीं चाहते ।

†श्री हाथी : मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश की चार मिलों में से दो ने पूरी तरह कार्यान्वित किया है और एक ने आंशिक रूप से । उस मिल की कठिनाई यह है कि उसके पास आवश्यक धन नहीं है और इसलिए उसने कर्मचारियों के साथ एक करार किया कि उन्हें कुछ किस्तों में अदायगी की जायगी और उन्हें जून, १९६२ तक भुगतान किया गया और बाद में भुगतान रोक दिया गया । सितम्बर में उन्होंने फिर शुरू कर दिया है । जहां तक चौथी मिल का सम्बन्ध है, प्रश्न यह था कि क्या वह मिल मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत आती है । अब इस मामले का स्पष्टीकरण किया जा चुका है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मैं वही प्रश्न संख्या २६१ के बारे में पूछना चाहता हूं । लेकिन मुख्य प्रश्न २५८ है । माननीय मंत्री ने कहा कि उसमें कुछ हित हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से हित हैं ।

†श्री हाथी : जी नहीं, मैंने यह कभी नहीं कहा कि उस में कुछ हित हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या मालिकों और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच कोई करार हुआ है ?

†श्री हाथी : मैंने बताया है कि चार मिलों में से दो ने कार्यान्वित किया है । किसी हित का कोई प्रश्न नहीं है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रश्न संख्या २६१ के उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट हूं । अब २५८ के सम्बन्ध में, मैं रिपोर्ट पेश न किये जाने के बारे में पूछ रहा था । माननीय मंत्री ने बताया है कि कुछ कठिनाइयां हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी कठिनाइयां हैं और क्या मजूरी बोर्ड के सदस्यों के साथ कोई करार हुआ है या कोई मतभेद है ।

†श्री हाथी : मजूरी बोर्ड के सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है । सिर्फ कठिनाई यह है कि बोर्ड के कुछ सदस्य संसद् सदस्य हैं और कुछ दूसरे लोग भी हैं जो व्यस्त हैं और जिन्हें समय न मिलने के कारण बैठक स्थगित कर देनी पड़ी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बाजी** : उत्तर प्रदेश के बारे में क्या ? मैं यह जानना चाहता हूं कि देश की अनेक पटसन मिलों में से कितनी मिलों ने मजूरी बोर्ड द्वारा दिया गया अन्तरिम पंचाट को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है ।

†**श्री हाथी** : ८४ मिलों में से उत्तर प्रदेश की मिलों को छोड़कर सभी ने कार्यान्वित कर दिया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है और क्या सदस्यों से प्रार्थना या अपील की गयी है कि वे इस ओर ध्यान दें कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये ।

†**श्री हाथी** : सदस्यों को शीघ्रता करने के लिये कहा गया है लेकिन कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गयी है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को इस बोर्ड का सदस्य नियुक्त करेगी जिनके पास बैठकों में उपस्थित रहने का समय हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

प्रेस सलाहकार समिति

*२५९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री श्याम लाल शर्राफ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति को क्या काम सौंपा गया है ;

(ग) क्या समिति की कोई बैठक हो चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति ने क्या निश्चय किये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): (क) प्रेस मंत्रणा (सलाहकार नहीं) समिति का गठन कर लिया गया है ।

(ख) समिति प्रेस सम्बन्धी मामलों पर सरकार और प्रेस के बीच निकटतर सम्पर्क बढ़ाने के लिये बनाई गई है ।

(ग) समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में ५ नवम्बर, १९६२ को हुई ।

(घ) समिति ने दो उप-समितियां नियुक्त करने का निर्णय किया जो क्रमशः परिषद् की स्थापना और राष्ट्रीय एकता एवं वर्तमान संकट के प्रसंग में प्रेस के लिये आचार-संहिता बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस समिति के बनने के पश्चात् समाचार पत्रों में कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रियायें प्रकाशित हुई थीं कि जो भारतवर्ष के बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, जिनका देश में महत्वपूर्ण स्थान है, उनके अथवा प्रमुख समाचार संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें नहीं लिये गये ? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** इस में सिर्फ २० लोग हैं। इस परामर्शदात्री समिति में हम सभी अखबारों के प्रतिनिधि नहीं रख सकते। उन्हें शायद अपनी बारी से अवसर मिलेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो समिति सरकार ने बनायी है, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समिति जो विशेष निर्णय लेगी क्या सरकार उन निर्णयों को मान्यता प्रदान कर कार्यान्वित करेगी ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** जी हां, हमने उप समितियां नियुक्त की हैं। १५ जनवरी तक अपनी रिपोर्टें पेश करेंगी और रिपोर्टें तैयार होते ही हम उन्हें कार्यान्वित करेंगे।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सच है कि शुरू में यह निश्चय किया गया था कि जो पत्रकारों की या सम्पादकों की संस्थायें हैं उनके पांच पांच प्रतिनिधि इस संस्था के लिये लिये जायेंगे, लेकिन बाद में ऐसे लोगों के नामिनेशन किये गये जो कि अपने प्राफेशन में डिसक्रेडिटेड थे और इसलिये असंतोष है ? यदि हां, तो क्या इसके कारणों पर प्रकाश डाला जायेगा ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी:** मैं नहीं समझता कि उस समिति में कोई अनधिकृत व्यक्ति हैं। मैं वह सुझाव बिलकुल स्वीकार नहीं करता।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह पहले तय किया गया था कि इन संस्थाओं के प्रतिनिधि मांगें जायें और उनको लिया जायेगा और उसके बाद सीधे नामिनेशन कर दिये गये, क्या यह सही है, और यदि हां, तो किस वजह से ऐसा किया गया ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रधान की इच्छा यह थी कि उन को समाचार पत्रों के भविष्य और सम्पादकों के साथ समानता मिलनी चाहिये, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सके। हम मालिकों को पांच, सम्पादकों को पांच, श्रमजीवी पत्रकारों को पांच तथा पांच अन्य गर-सरकारी प्रतिनिधि लेना चाहते थे। किन्तु वे सम्पादकों और मालिकों के साथ बराबरी चाहते थे जिसे हम मान नहीं सके।

†**श्री भागवत झा आजाद:** क्योंकि रिपोर्ट जनवरी में पेश की जायेगी, क्या इस सलाहकार समिति की पिछली बैठक में कोई ऐसे सिद्धान्त निश्चित किये जा सके थे, जिन के अनुसार प्रेस को ऐसे कार्टून इश्तहार तथा अन्य चीजें प्रकाशित न करने के लिये कहा जाय, जो देश की वर्तमान स्थिति के लिये हानिकारक हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** यह सर्वथा अलग बात है।

†**श्री श्याम लाल शर्राफ :** क्या यह सलाहकार समिति प्रेस प्रवृत्तियों के बारे में मंत्रालय को मंत्रणा देगी ताकि मंत्रालय उन को सरकार तक तथा मंत्रालयों तथा सक्रिय रूप से भेज सके ? क्या समिति प्रश्न के इस पहलू पर विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : मैं नहीं समझता कि यह करने में समर्थ है। किन्तु जब हम आचार संहिता बना लेंगे, तो संभव है उस में ये सब बातें आ जायेंगी। उप समिति इन सब मामलों पर विचार करेगी।

†श्री पें० वेंकटा सुब्बैया : समिति के सदस्य कौन हैं ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : उनकी लम्बी सूची है।

†श्रीमती सावित्री निगम : उप समितियों के निर्देश निबंधन क्या हैं और क्या मंत्री को समितियों की सूचना के बारे में असंतोष व्यक्त करने वाली शिकायत प्राप्त हुई है ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : मुझे दोनों समितियों की रचना के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली। पहली समिति के निर्देश निबंध प्रेस परिषद् की रचना सम्बन्धी प्रेस आयोग की सिफारिशों पर विचार करना, प्रेस परिषद् विधेयक १९५६ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में जांच करना और यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो उस के बारे में प्रेस सलाहकार समिति को उपयुक्त सिफारिशें करना, है, जिन की राज्य सभा द्वारा पारित प्रेस परिषद् विधेयक १९५६ के उपबन्धों में आवश्यकता समझी जाय। दूसरी उप-समिति के निर्देश निबंधन, भारत में वर्तमान संकट काल की आवश्यकताओं, आचार संहिता तथा एकता का ध्यान रखते हुए प्रेस के लिये आचार संहिता बनाने का विचार करना होगा, जैसा कि जून १९६२ में नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकता परिषद् ने अपनी बैठक में प्रेस द्वारा स्वीकृति के लिये सिफारिश की है।

†श्री इन्द्र जीत लाल मल्होत्रा : संकट काल की दृष्टि से उप समितियों को अपना काम तेज करने और १५ जनवरी से पहले रिपोर्ट देने को क्यों नहीं कहा गया ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : वे भारत के भिन्न भिन्न भागों के सदस्य हैं। उन को बैठकें करनी हैं और अन्य लोगों से भी परामर्श करना है। अतः हम १५ जनवरी तक उन की रिपोर्टें चाहते हैं।

†श्री वी० चं० शर्मा : प्रेस आयोग की रिपोर्ट लगभग ८ वर्ष पुरानी ही है। सरकार ने प्रेस के लिये आचार संहिता बनाने, प्रेस सलाहकार समिति बनाने तथा प्रेस परिषद् बनाने में क्यों इतनी देर की ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : प्रेस परिषद् विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था किंतु जब यह लोक सभा में आया, कुछ मतभेद हो गया और सरकार को १९५६ में विधेयक वापिस लेना पड़ा। हम पुनः इसे जीवित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रेस परिषद् बना रहे हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री ने अनुपूरक के उत्तर में संकट काल का उल्लेख किया है। उप-समितियों को बनाने के अतिरिक्त आन्तरिक तथा वैदेशिक प्रचार का पुनरायोजन करने के लिय क्या कदम या उपाय किय जा रहे हैं ताकि युद्ध के प्रयत्न तथा संकट कालीन आवश्यकताओं को तेज किया जा सके ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : इस प्रश्न के लिये पृथक सूचना मिलनी चाहिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं जैसा कि आरम्भ में मैं ने निवेदन किया था कि समाचारपत्रों के या जो प्रेस का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उन को इस कमेटी से संतोष नहीं है तो मंत्रालय इस समिति को प्रभावशाली रूप देने के लिय और भी कुछ मुख्य समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को इस में सम्मलित करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : हम बारी बारी से ऐसा कर सकते हैं। २० सदस्यों की समिति में, यदि सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों को लिया गया, तो प्रदेश वार भाषावार आदि समाचार पत्रों को स्थान नहीं मिल सकता।

गोवा में विकास योजनायें

+

†*२६०. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम रतन गुप्ता :
महाराजकुमार विजयानन्द :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह
श्री गुलशन :
श्री दाजी :
श्री इन्द्र जीत गप्त :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में एक करोड़ रुपये की राशि गोआ की विकास योजनाओं के लिये सरकार ने स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो ये विकास योजनायें विस्तार से क्या हैं ; और

(ग) भिन्न भिन्न योजनाओं की प्राथमिकता क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** :(क) जी हां। इस प्रयोजन के लिए १०७.५१ लाख रुपये की रकम मंजूर की गई है।

(ख) ये योजनाए उद्योग, कृषि और मीन-क्षेत्रों, सिंचाई और विद्युत, सामुदायिक विकास और पंचायतों के विकास, सड़कों और पुलों के निर्माण, बन्दरगाहों, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के विकास के सबंध में है।

(ग) संघीय राज्य क्षेत्र की आयोजना में विभिन्न योजनाओं को दी जाने वाली प्राथमिकता शेष भारत में उपलब्ध स्तर और आर्थिक विकास का ढांचा यथाशीघ्र प्राप्त करने और औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था बदलकर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आयोजनाओं से प्राप्त की जाने वाली व्यवस्था सुनिश्चित करने के सामान्य उद्देश्यों के अनुसार दी जायगी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : विकास योजनाएं बनाने के लिए खास तौर से जो आयोजन बोर्ड बनाया गया था, क्या उसने योजना का मस्विदा प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो बोर्ड ने किन किन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कई योजनाएं हैं। इस योजना पर योजना आयोग, वैदेशिक कार्य, वित्त तथा परिवहन मंत्रालय और केन्द्रीय पानी बिजली आयोग के प्रतिनिधियों के बीच २९ सितम्बर, १९६२ को चर्चा हुई थी। इन मदों में गोआ की अर्थ व्यवस्था के सभी पहलू शामिल हैं। वह एक लंबी सूची है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वह पढ़ दूं तो......

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बैया :** क्या इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन ने कोई गैर-सरकारी समितियां बनायी हैं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** गोआ आयोजन आयोग है ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख:** गोआ-गोंदिया रेलवे में जो लाइनें नहीं हैं उन्हें बनाकर मध्य भारत (सेन्ट्रल इंडिया) की कोयला खानों को गोआ के साथ जोड़कर योजना में गोआ की रेलवे के विकास की क्या कोई योजना है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी नहीं, वह योजना में शामिल नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात के कारण कि पुराने और दकियानूसी ढंग के पुर्तगाली शासन के कारण गोआ आर्थिक विकास के क्षेत्र में शेष भारत से कम से कम दस साल पीछे है, यह कमी पूरी करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन:** वह मुख्य उत्तर में दिया हुआ है । गोआ की अर्थ व्यवस्था के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है और जो धन दिया गया है वह उस क्षेत्र के विकास के लिए काम में लाया जायगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** सरकार द्वारा इस बात का निश्चय किये जाने में कि मारमागोआ बन्दरगाह का विकास वाणिज्यिक बन्दरगाह के रुप में या नौसनिक अड्डे के रुप में किया जाये, देर के क्या कारण हैं ?

†**अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** जांच पड़ताल की जा रही है और सरकार ने इस मामले में कोई निश्चय नहीं किया है । कारण यह है कि सरकार को किसी निश्चय पर पहुंचने से पहले कई बातों पर विचार करना होता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस बात को देखते हुए कि भारत के सभी राज्यों में अपने अपने विश्वविद्यालय हैं क्या गोआ में भी एक अलग विश्वविद्यालय होगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी हां । उस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: गोवा का स्वतंत्र कराते समय पुर्तगालियों ने जो सड़क, बंदरगाह या पुल नष्ट कर दिये थे उन के सुधार और मरम्मत की व्यवस्था गोवा की विकास योजनाओं में सम्मलित हैं या वह पहले ही पूर्ण किये जा चुके हैं ?

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में पिछले सदन के सत्र में बतलाया जा चुका है कि जो पुल और सड़कें वगैरह हमारी वहां टूट गयी थीं उन को बनाने का इंतजाम ज्यादातर हो गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या प्राथमिकताओं का विद्यमान नियतन किसी दीर्घकालीन योजना के अनुसार है या वह नियतन केवल चालू वर्ष के लिए ही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह गोआ की अर्थ व्यवस्था के तुरन्त विकास के लिए है यद्यपि एक दीर्घकालीन योजना भी होगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गोआ की यह विकास योजना संपूर्ण भारत के लिए तीसरी योजना के साथ संबद्ध की जा रही है और यदि हां, तो किस ढंग से ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन:** हम तीसरी योजना के दो वर्ष पहले ही समाप्त कर चुके हैं। संकट का सामना करने के लिए यह एक तदर्थ व्यवस्था है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए कोई खास योजना तयार की गयी है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** वह भी कार्यक्रम का एक अंग है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न सूची समाप्त हो गयी है। प्रश्नकाल भी अब समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पूंजीगत विनियोजन

†५२७. **श्री सेझियान :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में (राज्यों के अलग अलग आंकड़े) प्रतिव्यक्ति पूंजीगत विनियोजन कितना था?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति पूंजीगत विनियोजन लगभग ८४.६ रुपये था तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगभग १५४ रुपये था। विनियोजन के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां

†५२८. **श्री सेझियान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी, कराहकल, माही और यानाम की औद्योगिक संभावनाओं का निरीक्षण करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के लिए क्या महत्वपूर्ण योजनायें बनाई गई थीं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां। लघु उद्योग सेवा संस्था मद्रास ने मार्च अप्रैल, १९५८ में पांडीचेरी का एक औद्योगिक सर्वेक्षण किया था। कराहकला माही यारनाम आदि के बारे में ऐसे सर्वेक्षण प्रतिवेदन पांडिचेरी सरकार का उद्योग विभाग बना रही है।

(ख) लकड़ी का काम, चमड़े का काम और अन्य छोटे पैमाने के उद्योग सरकारी क्षेत्र में और गैर-सरकारी क्षेत्र में ही एकस:-रालिंग मिल, तीन कपड़ा मिल, एक चीनी मिल, एक छाते की तीलियां बनाने का कारखाना बनाया जा चुका है। २५ लाख रुपये की महत्वपूर्ण विकास योजनायें बनाई गई हैं और निम्नलिखित योजनायें निर्माण के विभिन्न प्रक्रम पर है :—

१. बांध परियोजना, पांडिचेरी (दि पायर प्रोजक्ट)

२. टगौर आर्टस कालिज एण्ड पालिटक्नीक, पांडिचेरी

३. जनरल अस्पताल, पांडिचेरी और कराहकल में सुधार,

४. बाल रोग अस्पताल, पांडिचेरी

---

†मूल अंग्रेजी में

५. टी० बी० सेनैटोरियम एण्ड क्लीनिक पांडीचेरी

६. अतिरिक्त बिजली ट्रांसफारमरों की व्यवस्था तीसरी योजनावधि में विकास योजनाओं के लिए १०१७ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

नागा विद्रोही

†५२९. **श्री रा० बरुआ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के त्वेनसांग जिले में नागा विद्रोही गांववालों से खाद्यान्न तथा धन इकट्ठा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) उस का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) इस प्रकार के कुछ मामले हैं कि नागा विद्रोही त्वेनसांग जिले में खाद्यान्न तथा धन जबरदस्ती ले रहे हैं । परन्तु ऐसे मामले पहले वर्षों की तुलना में कम हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा सेनाओं ने उन को दबाया है ।

(ख) और (ग). स्वयं गांववासीनागा विद्रोहियों से लड़ रहे हैं और एक घटना में उन्होंने तीरों तथा भालों से तीन विद्रोहियों को मार डाला था ।

सरकार में सुरक्षात्मक कार्यवाही की है और जहां पर आवश्यक होगा वहां पर सुरक्षा सेनाओं की शक्ति बढ़ा दी गई है ।

देसाई बैंक पंचाट

†५३०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संस्था ने कलकत्ते में इस वर्ष सितम्बर में हुए अपने चार दिन के वार्षिक अधिवेशन में 'देसाई-बैंक' पंचाट की आलोचना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रश्न उठाये गये थे और इन प्रश्नों के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** (क) सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संस्था ने सितम्बर १९६२ में हुए अपने वार्षिक सम्मेलन में देसाई पंचाट की आलोचना की थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आर्डिनेंस कारखानों में उत्पादन

†५३१. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री वाजी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१-६२ में आयुध कारखानों का पर्याप्त उत्पादन बढ़ गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९६०-६१, तथा १९६१-६२ में कितने मूल्य का सैनिक तथा असैनिक काम किया गया था ;

(ग) क्या नये आर्डिनेंस कारखाने स्थापित किये जाने की आशा है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने कारखाने हैं, और

(ङ) इन के किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) सेना, नौसेना, वायुबल तथा असैनिक काम के लिये १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में निम्नलिखित मूल्य का काम किया गया था :—

(रुपये करोड़ों में)

	१९६०–६१	१९६१–६२ (अस्थायी)
सेना	२४.२४	३३.२७
नौसेना, वायुसेना, एम ई एस आदि	१.६६	२.५५
असैनिक व्यापार (सीमा सड़कों समेत)	७.२१	५.६३
जोड़	३३.११	४१.४५

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) चार नये कारखाने, एक एक भंडारा (महाराष्ट्र) तथा चण्डीगढ़ (पंजाब) में तथा दो अवाड़ी (मद्रास) में बनाये जा रहे हैं ।

मजूरी बोर्ड

†५३२. {**श्री उमानाथ** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ और उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कौन से उद्योग हैं ; और

(ग) मजूरी बोर्डों का कब गठन होगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग) प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में रिपोर्ट

५३३. {**श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ९ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० एल० मेहता को १९६० की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में इस बीच अपनी रिपोर्ट देने के लिये समय मिल गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उन के अध्ययन का सारांश सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि अभी तक उन्हें इस काम के लिये समय नहीं मिला है तो कब तक उन्हें समय मिलने की संभावना है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्तमान स्थिति में इस कार्य को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती ।

यू० एस० आई० एस० में सेना अधिकारी की पत्नी

†५३४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री नम्बियार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मेजर जनरल की पत्नी को 'वायस आफ अमरीका' के प्रसारणों के लिये यू० एस० आई० एस० (संयुक्त राज्य सूचना सेवा) के रेडियो विभाग में नौकरी करने की सरकार ने अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या यह मेजर जनरल पहले डायरेक्टर आफ मिलिटरी इंटेलिजेंस था ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा नियमानुसार किया गया है अथवा अपवाद स्वरूप ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मामले में इसलिये स्वीकृति दे दी गई थी क्योंकि यह बताया गया था कि वह कई वर्ष से अपने पति से अलग रह रही है ।

नागा विद्रोही

†५३५. **श्री वाजी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागालैंड की अन्तरिम परिषद् की बैठक में श्री खेहया एक पार्षद् के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया था कि विद्रोही नागाओं के बड़े दल उन के क्षेत्र में घूम रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो विद्रोहियों से इस क्षेत्र को अभी भी कितना खतरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) नागालैंड की अन्तरिम परिषद् के वर्षाकलीन अधिवेशन में श्री खेहया, परिषद् के सदस्य ने बताया था कि विद्रोही उन के क्षेत्र में अर्थात् कोहिमा जिले के दक्षिण अंगामी क्षेत्र में पुनः सक्रिय हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुरक्षा सेनायें तथा गांव के गार्ड गश्त लगा रहे हैं जिन के फलस्वरूप दो हथियार मिले हैं तथा एक राइफल पकड़ी गई है तथा कुछ विद्रोहियों की गिरफ्तारी हुई थी ।

क्षेत्र में अब शान्ति है ।

नागालैंड का विकास

†२३६. { श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१-६२ में नागालैंड के लिये आवंटित विकास निधि की बड़ी धनराशि खर्च नहीं की गई है ;

(ख) इस प्रकार कौन सी मुख्य मदें रोक दी गई हैं ; और

(ग) भविष्य में निधि के उत्तम उपयोग के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अनुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) आवंटन १,०४,३१,४०० रुपये का आवंटन किया गया था, जिसमें से १२,४१,१०० रुपये अभी खर्च नहीं हुए हैं ।

(ख) सभी मुख्य विकास योजनाओं को लागू किया गया था परन्तु प्रविधिक कर्मचारियों तथा अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों की कमी के कारण पूरे धन का उपयोग नहीं किया जा सका ।

(ग) विकास कार्य से संबंधित सरकारी विभागों का निदेशालय के रूप में पुनर्गठन किया जा रहा है और प्रविधिक कर्मचारियों की भरती करने के तथा अन्य कठिनाइयों को दूर करने के विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं जिस से भविष्य में निधि का उत्तम उपयोग हो सके ।

दिल्ली काम दिलाऊ दफ्तर

†२३७. { श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री वारियर :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ से १९६१ के प्रत्येक वर्ष में दिल्ली काम दिलाऊ दफ्तर के द्वारा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की सेवा में भरती किया गया है ; और

(ख) क्या देश के किसी अन्य भाग में इस के अतिरिक्त अन्य किसी काम दिलाऊ दफ्तर से इन वर्षों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी भरती की गई थी ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) और (ख). इस अवधि की

---

†मूल अंग्रेजी में

जानकारी उपलब्ध नहीं है । परन्तु गत बारह महीनों के आंकड़े उपलब्ध हैं और नीचे दिये जाते हैं :—

श्रेणियां	१९६१ में नवम्बर से १९६२ अक्तूबर तक दिल्ली काम दिलाऊ दफ्तर, द्वारा भरे गये केन्द्र सरकार के रिक्त पदों की संख्या		
	दिल्ली में रजिस्टर्ड आवेदकों से	अन्य दफ्तरों में रजिस्टर्ड आवेदकों से	जोड़
तृतीय श्रेणी . .	३,२४८	१	३,२४९
चतुर्थ श्रेणी . . .	३,३७२	४०	३,४१२

काटंगा में मारे गये भारतीय सैनिक

†५३८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ सितम्बर, १९६२ को कटंगा में सुरंग के फट जाने से दो भारतीय सैनिक मर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) २४ सितम्बर, १९६२ को (प्रश्न में उल्लिखित २५ सितम्बर को नहीं) एलिजाबैथविल में एक खान विस्फोट के कारण दो भारतीय सैनिक मारे गये थे ।

(ख) २४-९-१९६२ को लगभग ९.१५ बजे हमारे एक गश्ती दस्ते जिसमें एक जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर तथा १३ सैनिक थे जब गश्त के बाद अपनी चौकी को लौट रहा था, उस समय एक सुरंग के फट जाने से दो सैनिक मर गये और जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर और तीन सैनिक घायल हो गये थे । यह पहला मौका है कि संयुक्त राष्ट्र के गश्त वाले इलाके में सुरंग फटी है ।

दिल्ली की बृहद योजना के लिये भूमि अर्जन

†५३९. **श्री ह्रा० ना० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त के अन्तिम सप्ताह में मेरठ और बुलन्दशहर के बहुत से किसान लोक-सभा के दो सदस्यों के नेतृत्व में उन से मिले थे और उन्होंने दिल्ली की बृहद् योजना (मास्टर प्लान) के लिए भूमि अर्जन के बारे में अपनी शिकायतें उनको बताई थीं; और

(ख) क्या उन्होंने किसानों के लिए लाभदायक सुझाव अथवा आदेश उचित अधिकारियों को भेज दिये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी हां । प्रधान मंत्री ने किसानों की शिकायतें सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखा था कि जबकि बड़े नगर के पास की भूमि का नगर विस्तार और उद्योगों

†मूल अंग्रेजी में

के लिए अर्जन करना होता है परन्तु मास्टर प्लान को भी इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए बंजर भूमि का अर्जन हो और अच्छी जमीन खेती के लिए रखी जानी चाहिए। दिल्ली मास्टर प्लान से सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों को भी प्रधान मंत्री के विचार बता दिये गये हैं। मूलतः लगभग ३४,००० एकड़ भूमि का अर्जन करने का विचार था परन्तु बाद में और विचार करने से इसको ६,००० एकड़ कम कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अब व्योरेवार उत्तर भेज दिया है और यह स्पष्ट करते हुए कि गाजियाबाद के विनियमित विकास के लिए २२ गांवों की ६१,५९ एकड़ भूमि का अर्जन करना किस लिए आवश्यक था, यह बताया कि राज्य सरकार किसानों की कठिनाइयोंको दूर करेगी तथा उनको स्थान देने का प्रयत्न करेगी।

पासपोर्ट

†५४०. **श्री ह्रा० ना० तिवारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६२ से महीने वार पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन पत्र मिले हैं और कितने पासपोर्ट जारी किये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष के महीने	प्राप्त मिलने वाले आवेदनपत्र	जारी किये गये पासपोर्ट
अप्रैल	६,०११	५,३४८
मई	७,०६६	६,१८८
जून	७,६६०	६,१८२
जुलाई	५,३३६	५,३३५
अगस्त	४,४३१	५,१६७
सितम्बर	४,५३९	४,५५८
अक्तूबर	३,४३७	३,४६७
जोड़	३८,४८०	३६,२३९

त्रिपुरा में फैक्टरी निरीक्षणालय

†५४१. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के फैक्टरी निरीक्षणालय त्रिपुरा के उद्योग निदेशालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) क्या उद्योग निदेशालय इस संघ क्षेत्र में स्वयं नियुक्तक हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** (क) और (ग). उद्योग निदेशक ने अपने काम के साथ साथ कारखाना निदेशक का पद भी तब तक के लिए सम्भाल लिया है जब तक

†मूल अंग्रेजी में

कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति न हो जाये । इस पद पर उचित अर्हता प्राप्त व्यक्ति की सेवायें नहीं ली जा सकी हैं परन्तु इस पद को शीघ्र भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट

†५४२. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के स्टाफ़ आर्टिस्टों की कार्यवहन तथा सेवा की शर्तों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया हैं; और

(ग) यदि हां, तो समिति की क्या सिफारिशें हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) से (ग). हाल में ही एक समिति नियुक्त की गई थी परन्तु इसका प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है ।

सीमा सड़क संगठन कार्य में घायल व्यक्ति

५४३. **श्री भक्त दर्शन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क संगठन के कार्य में घायल हुए कुछ सैनिकों को गत १३ सितम्बर, १९६२ को जोशीमठ (जिला चमोली) से हेलीकोप्टर द्वारा दिल्ली लाया गया था;

(ख) यदि हां, तो नीती व माना घाटियों व चमोली जिले के अन्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य करते हुए अब तक कुल कितने सैनिक व अन्य व्यक्ति घायल हो चुके हैं;

(ग) उन घायलों की चिकित्सा के लिये निर्माण-स्थलों पर तथा जोशीमठ में क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये कौन से विशेष कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां । घायल सिपाही १२ सितम्बर, १९६२ को निकाल लाया गया था ।

(ख) सड़क बनाते समय मरने वाले तथा घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

	मरने वालों की संख्या	घायल होने वालों की संख्या
सिपाही	३	१
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स तथा अन्य सिविलियन .	३	—
जोड़ . .	६	१

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जोशीमठ तथा काम में लगे हुए अन्य स्थानों पर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) का प्रबन्ध है। सख्त घायल लोगों को सड़क द्वारा देहरादून के मिलिटरी अस्पताल में पहुंचाया जाता है। सितम्बर १९६२ में टूट फूट के कारण सड़क बन्द हो जाने से (क) में बतलाये गये बीमार को हेलीकाप्टर द्वारा निकाला गया था।

(घ) ढालू चट्टानों पर काम करने वाले व्यक्तियों को भविष्य में नाइलोन की रस्सियां तथा सेफ्टी हायस्ट बेल्ट दिये जायेंगे।

माइन स्वीपर्स

†५४४. **श्री यशपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५० कर्मचारियों वाले फैरी क्राफ्ट तथा एयर क्राफ्ट कैरियर के लंगर डालने वाले स्थान के लिये तीन पौन्टून तथा माइन स्वीपर्स के निर्माण में क्या प्रगति हुई है जिसके लिए मैसर्स मजागांव गोदी, बम्बई को आर्डर दिये गये थे; और

(ख) आर्डर को पूरा करने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). जबकि इन सभी वस्तूओं के निर्माण में संतोषजनक प्रगति है परन्तु उसके ब्योरे बताना लोकहित में नहीं है।

कोरिया का सांस्कृतिक शिष्टमंडल

†५४५. **श्री विशन चन्द्र सेठ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरियन सांस्कृतिक शिष्टमंडल सितम्बर, १९६२ में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन स्थानों का दौरा किया था;

(ग) क्या वह भी सच है कि उन्होंने भारत से भी कोरिया को ऐसा शिष्टमंडल भेजने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) क्या शिष्टमडल से कोई सांस्कृतिक समझौता किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) शिष्टमंडल दिल्ली, आगरा और भाखड़ा तथा नंगल बांध गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोवा में भूतपूर्व सैनिक

†५४६. श्री प्र० क० घोष०
श्री कपूर सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोआ के भूतपूर्व सैनिकों ने इस प्रकार का एक ज्ञापन दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व उनको प्राप्त नियुक्ति शर्तों को ही उनको दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो उनको अब तक वैकल्पिक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है ; और

(ग) सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने गोआ के भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है और उनको वैकल्पिक नियुक्ति दिलाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। कुछ गोआ के भूतपूर्व सैनिकों को सीमाशुल्क, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में लगाया गया है। गोआ के १४१ भूतपूर्व सैनिकों ने गोआ में हाल में ही स्थापित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल प्रवेश पा लिया है। सरकार ने अन्य बेकार भूतपूर्व सैनिकों को, जो शारीरिकरूप से ठीक है, भारतीय सेना में, नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है।

प्रतिरक्षा असैनिक क्लर्क संघ

†५४७. श्री यु० द० सिंह :
श्री बें० वेंकटासुब्बैया :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय प्रतिरक्षा असैनिक क्लर्क संघ ने, जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के निचले संस्थानों में काम करने वाले ८००० असैनिक कर्मचारियों का प्रतिनिधान करता है, कि इसके सदस्य पिछले तीन से बारह वर्षों तक वहीं पड़े रहे है और उनको अग्रेतर पदोन्नति तथा वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का कोई प्रोत्साहन नहीं रहा है ; है ;

(ख) क्या संघ ने सुझाव दिया है कि सरकार को चाहिये कि वह उनके सदस्यों की सेवाओं को नवीन बढ़ने वाले विभागों में या अन्य कार्यालयों में काम में लगाने की सेमकता पता लगाये ; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन संत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग) हाल ही में इस विषय में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। यह अब विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एडिनबरा मिलिटरी टैटू[1]

†५४८. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दाजी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ६१वें रिसाले के एक क्षेत्र ने हाल के एडिनबरा टैट (सैनिक प्रदर्शन) में भाग लिया था;

(ख) उन्होंने किस प्रकार भाग लिया था;

(ग) क्या भारतीय सशस्त्र सेनाओं के दस्तों में इंगलिस्तान से भिन्न अन्य किसी देश में सैनिक प्रदर्शनी या इसी प्रकार के समारोहों में भाग लिया है; और

(घ) क्या इंगलिस्तान के साथ यह व्यवस्था पारस्परिक आधार पर है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). इंगलिस्तान की सरकार के नियंत्रण पर ६१वें रिसाले के एक दस्ते ने अगस्त-सितम्बर १९६२ में एडिनबरा में हुई सैनिक प्रदर्शनी में भाग लिया था।

(ग) अभी तक नहीं।

(घ) जी, नहीं।

भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता

*५४९. { **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा वर्तमान दशाब्दि को "विकास दशाब्दी" घोषित किये जाने पर विश्वसंगठन द्वारा भारत को इसके विकास में जिस प्रकार से सहायता दी जा रही है; और

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा दी गई सहायता औद्योगिक एवं कृषिजन उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी जिससे यह देश राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में सफल हो सके ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) महासभा का "संयुक्त राष्ट्र विकास दशाब्दी—अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहकार का कार्यक्रम" विषय पर संकल्प में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी नीतियों तथा उपायों को अपनायें जिनसे अविकसित देशों को अपने विकास की गति को काफी मात्रा तक बढ़ाने में सहायता मिले, ताकि शताब्दी के अन्त में औसत राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत निम्नतम वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा जाए। संकल्प में महासचिव से यह भी प्रार्थना की गई है कि वह आवश्यक कार्यक्रमों के लिये संयुक्त अभिकरणों के परामर्श से अपेक्षित प्रलेखन करे तथा प्रस्तावों का विकास करे। अतः वर्तमान दशाब्दी को "विकास दशाब्दी" घोषित करने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा की जाने वाली विविध कार्रवाइयों को तेज करना तथा उनका समन्वय करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] dinburgh Milit ary Tattoo.

(ख) जी, हां। तथापि यह अभी नहीं कहा जा सकता कि आया संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा विविध अभिकरणों और सरकारों के सहयोग से किये गये प्रयत्नों का निम्मतम ५ प्रतिशत तक औसत राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का वांछित परिणाम होगा।

उड्डयन विज्ञान संस्था[1]

†५५०. **श्री प्र० कु० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास द्वारा एक उड्डयन विज्ञान संस्था स्थापित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित की जाएगी तथा यह कौन सी कार्रवाइयों करेगी;

(ग) संस्था के लिये कौन कौन कर्मचारी होंगे; और

(घ) इस संस्था का कुल पूंजीगत तथा आवर्तक व्यय कितना होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (घ). उड्डयन विज्ञान और उद्योगिकी की प्रगति के लिये ऐसी एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। योजना के ब्योरे, इसकी स्थापना, कार्यों, कर्मचारियों तथा आवश्यकता के बारे में ब्यौरे तैयार करने के लिये एक तदर्थ विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। इस समय समिति इस काम में लगी हुई है।

जीव क्रिया विज्ञान संस्था[2]

†५५१. **श्री प्र० क० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से मद्रास में एक जीव क्रिया विज्ञान संस्था स्थापित की जा रही है,

(ख) इस संस्था के क्या कार्य होंगे; और

(ग) इस संस्था का अनुमानित पूंजीगत तथा आकर्षक व्यय क्या होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) सशस्त्र सेनाओं के लिये व्यवहार्य जीव क्रिया विज्ञान के विधि क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिये, अर्थात् सैनिक वातावरण में सेना के कर्मचारियों की उच्च स्थानों तथा मरुस्थलों में कार्य कुशलता, आराम तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं।

(ग) संस्था के अनुमानित आवर्तक तथा पूंजीगत व्यय लगभग क्रमश: ३,४ लाख रुपये और ५२ लाख रुपये होगा।

गन ऐण्ड शैल फैक्टरी, कांसीपुर

†५५२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** २१ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार गन ऐण्ड शैल फैक्टरी, कांसीपुर, जिसमें डमडम शाखा तथा शस्त्रास्त्र प्रतिष्ठान का संबद्ध निरीक्षणालय सम्मिलित हैं, के कर्मचारियों के लिये पुरानी राज्य सम्पत्ति बैरकों में नवीन ढंग के क्वार्टर फिर से बनाने या नये क्वार्टर बनाने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Institute of Flight Science

[2]Institute of Physiology.

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : टाइप १ के १४४ तथा टाइप २ के ९० क्वार्टरों के निर्माण की प्लान की जांच की जा रही है।

उत्प्रवासी श्रमिकों का नियंत्रक[1]

†५५३. { **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "प्रवासी श्रमिकों के नियंत्रक" के संगठन की स्थापना के बाद से मजदूरों के देश से बाहर जाने का नियंत्रण व विनियमन किया जाता है ; और

(ख) क्या इस संगठन की स्थापना के बाद से उन देशों को श्रमिक अधिक संख्या में नहीं जाते रहे। वे साधारणतया कामकाज की तालाश में जाते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-प्रतिरक्षा तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां। देश से बाहर कुशल तथा अकुशल काम वाले कर्मचारियों के जाने का विनियमन भारत उत्प्रवास अधिनियम, १९२२ (१९२२ का अधिनियम संख्या ७) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत निश्चित भारतीय पत्तनों के उत्प्रवासी अधिकारों द्वारा उत्प्रवास के महा नियंत्रक के सामान्य निदेश के अधीन, जो अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्य करता है, विनियमन किया जाता है।

(ख) जी हां, अधिक उत्प्रवास को रोक दिया गया है।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

५५४. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** २९ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली छावनी में प्रतिरक्षा कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधायें देने का जो प्रश्न विचाराधीन था उस पर क्या निर्णय किया गया है और उस निर्णय को किस तारीख से लागू करने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : वर्तमान आपत-कालीन अवस्था में रक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा-योजना के अन्तर्गत अस्पतालों और डिस्पैन्सरियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को उतनी जमीन आफर की गई है जितनी की सम्भव है।

गोआ में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र

†**५५५. श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि गोआ में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसने कब से कार्य आरम्भ किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) ८ अक्तूबर, १९६२।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Controller of Emigrant Labour.

तीसरी योजना के बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट

†५५६. **श्री बड़े** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो पहली त्रैमासिक रिपोर्ट कब पेश की गई थी ;

(ग) उस के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'न' है तो क्या त्रैमासिक रिपोर्ट भेजने के विलम्ब में कारण राज्य सरकार का आलस्य है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री च० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) और (ख). शासकीय उपयोग के लिये त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन योजना आयोग में तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से तैयार किये गये हैं। त्रैमासिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य उन कठिनाइयों और बाधाओं को प्रकाश में लाना है, जो योजना की कार्यान्विति में अनुभव की जाए तथा उनको दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना है।

(ग) तीसरी योजना अवधि के आरम्भ से की गई प्रगति सम्बन्धी मुख्य निष्कर्ष २२ अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

सेना में भर्ती

५५७. **श्री बेरबा कोटा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी आक्रमण के बाद से देश की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिये नवयुवकों की भरती का कोई नया कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) अक्तूबर, १९६२ के बाद से अब तक कितने नवयुवकों को सशस्त्र सेना, प्रादेशिक सेना, एन० सी० सी०, ए० सी० सी० में भरती किया जा चुका है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) भरती संगठन को दुबारा संगठित किया गया है, और उसे भरती में उत्क्रमण के निमित्त अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है।

फैसला किया गया है, कि एन० सी० सी० राईफल्ज की एक संकटकालीन प्रसार की योजना के अन्तर्गत, कालिजों से समस्त योग्य छात्र-समुदाय को ले लिया जाए, जिस में उन्हें, कालिज में काम के घण्टों के दौरान में, हफ्ता में दो घण्टे सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए।

कुछ उपयुक्त उपाए तीनों सेवाओं में विचाराधीन हैं।

(ग) पहली अक्तूबर, १९६२ से, सहायक छात्र-दल समेत छात्रदलों में भरती किये गये लोगों की संख्या ३२०० है। सशस्त्र सेनाओं और प्रादेशिक सेना के सम्बन्ध में ऐसी सूचना, इस सभा में, प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी सैनिक अफसरों का दौरा

†५५९. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषज्ञों के कितने विदेशी दल या सैनिक अफसर, १९५७ से १९६२ तक की अवधि में हमारी विमान बल प्रतिष्ठानों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आये हैं तथा किन देशों से ; और

(ख) उनके दौरे का क्या उदेश्य था ?

†**प्रति रक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). कुल मिलाकर ऐसे ६२ दल और विदेशी गण्य मान्य व्यक्ति भारतीय विमान बल के प्रतिष्ठानों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में इस अवधि में १७ देशों से अर्थात् आस्ट्रेलिया, बर्मा, चीन, कनाडा, फ्रांस, इन्डोनेशिया, ईरान, मलाया, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, स्वीडन, थाईलैंड, संयुक्त अरब गणराज्य, इंगलिस्तान, अमरीका, रुस और पश्चिमी जर्मनी से आये हैं ।

इन दौरों का उद्देश्य भारतीय विमान बलों की प्रगति में औपचारिक या दिलचस्पी व्यक्त करने का था ।

इसके अतिरिक्त इंगलिस्तान, फ्रांस और रुस से शिल्पिक भी इन देशों से प्राप्त भारतीय विमान बल उपकरण की संचालन मरम्मत के सम्बन्ध में आये थे ।

बर्मा से भारतीय विमान अफसरों तथा चीन से सैनिक अफसरों के दो सद्भावना दल भी आये थे ।

प्रति व्यक्ति आय

†५६०. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय में कितनी अनुमानित वृद्धि हुई है ; और

(ख) प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि या कमी हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान समूचे देश के लिये लगाये जाते हैं न कि ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों के लिये पृथक पृथक ।

(ख) हाल ही में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा बताई गई राष्ट्रीय आय के 'शिघ्र' अनुमानों के अनुसार, १९४८–४९ मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय १९६१–६२ के लिये २९२.५ रुपये है जिससे पिछले वर्ष की आय में न कुछ वृद्धि हुई है और न कमी हुई है ।

कोयम्बटूर में रेडियो रिले स्टेशन

†५६१. **श्री सेझियान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर में मध्यम तरंग का एक ट्रांसमीटर लगाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) ट्रांसमीटर कितने किलोवाट शक्ति का है ; और

(ग) इसके कब चालू हो जाने की आशा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** :(क) से (ग). १० किलोवाट शक्ति का मध्यम तरंग का एक ट्रांसमीटर कोयम्बटूर में लगाने का विचार है । स्थान चुनने के बारे में प्रारम्भिक कार्रवाई की गई है । अगले दो वर्षों में इसके स्थापित हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कुछ सदस्यों की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में ११.३० बजे वक्तव्य देंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

संविधान के अनुच्छेद ३५९ के अन्तर्गत अधिसूचना

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)**: मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से संविधान के अनुच्छेद ३५९ के खंड (३) के अन्तर्गत दिनांक ११ नवम्बर १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५१० की एक प्रति, जिसमें उपरोक्त अनुच्छेद के खंड (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक ३ नवम्बर १९६२ के आदेश संख्या जी० एस० आर० १४६४ का एक संशोधन प्रकाशित है, सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्ताकलय में रखी गयी। देखिये संख्या ९ एल० टी० ५३४/६२] :

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि माननीय मंत्री ने अपने निदेश का पालन करते हुए अधिसूचना की प्रति सभा पटल पर रख दी है। यदि अनुच्छेद ३५४ के अन्तर्गत भी आदेश जारी हुआ हो तो उसे भी पटल पर रख देना चाहिये।

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) (क) कांच की चादर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२)।

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या १४(२)—टी० आर०। ६२ (हिन्दी संस्करण सहित)।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ५३५/५२]

(दो) (क) प्लास्टिक (फनौल) फोरमेलडीहाइड (मोल्डिंग पाउडर) उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट (१९६२)।

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १९६२ की सरकारी संकल्प संख्या २७(१)—टी० आर०/६२ (हिन्दी संस्करण सहित)।

[पुस्ताकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ५३६/६२]

(तीन) (क) बाल बियरिंग उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२)।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १६६२ का सरकारी संकल्प संख्या १८(१) टी० आर०।६२ (हिन्दी संस्करण सहित)।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ५३७/६२]

(चार) (क) अलौह धातु उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६६२)।

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १६६२ का सरकारी संकल्प संख्या २२(१)—टी० आर०/६२ (हिन्दी संस्करण सहित)।

(ग) उपरोक्त अधिनियम की धारा में ३-क की उप-धारा(१)के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १६ नवम्बर, १६६२ की अधिसूचना संख्या २२(१)—टी० आर०/६२—२ (हिन्दी संस्करण सहित)।

(घ) उपरोक्त अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक ६ नवम्बर, १६६२ की अधिसूचना संख्या २२(१)—टी० आर०/६२—२ (हिन्दी संस्करण सहित)।

(ङ) उपरोक्त (क), (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय म रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ५३८/६२]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक लेखे

†**श्री हाथी** : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १६४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत वर्ष १६६०–६१ के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक लेखे की एक प्रति तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ५३६/६२]

बाढ़ स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: मैं देश में बाढ़ स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ५४१/६२]

फिल्म वित्त का वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर सरकारी समीक्षा

†**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनीज अधिनियम, १६५६ की धारा ६१६क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १६६१-६२ के लिये फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी सहित।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ५४०/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†**उपसभापति** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि राज्य सभा ने अपनी १५ नवम्बर, १९६२ की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक को पारित कर दिया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६२

राज्य सभा द्वारा पारित सत्र सभा पटल पर रखा गया

†**उपसभापति** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६२ को राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक, १९६२

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : मैं श्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि पांडिचेरी के प्रशासन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि पांडिचेरी के प्रशासन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

पांडिचेरी (प्रशासन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१(१) के अन्तर्गत पांडिचेरी प्रशासन अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ८) द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ५५७/६२]

राज्य सहयोजित बैंक (विविध उपबंध) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५, भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, १९५९ और बैंकरों की पुस्तकें साक्ष्य अधिनियम, १८९१ में संशोधन करने और अग्रेतर कुछ छोटे मोटे राज्य सहयोजित बैंकों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

को बन्द करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करन का अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५, भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, १९५९ और बैंकरों की पुस्तकें साक्ष्य अधिनियम १८९१ में अग्रेतर संशोधन करने और छोटे-मोटे कुछ राज्य सहयोजित बैंकों को बन्द करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक

†**श्री गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

†**अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : मैं श्री नन्दा की ओर से कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कामगर प्रतिकर अधिनियम १९२३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हाथी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विदेशियों सम्बंधी विधि (लागू करना संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशियों के पंजीयन सम्बन्धी अधिनियम, १९३९ और विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम, १९४६ को कुछ ऐसे व्यक्तियों पर लागू करने, जिन पर वे इस समय लागू नहीं होते हैं और विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इन दो अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता आपातकाल की घोषणा के कारण हुई है । सभा को विदित है कि ये अधिनियम गत महायुद्ध में लागू थे और उस के बाद भी इस के प्रमुख उप-बन्ध लागू रहे हैं । किन्तु संविधान के १९५० में लागू होने पर कठिनाई पैदा हुई थी । इन अधिनियमों के अधीन इन में उल्लिखित कतिपय आधार पर व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है । किन्तु संविधान के अधीन उस में उल्लिखित कतिपय शर्तों पर ही किसी को नजरबन्द किया जा सकता था । इस कारण उक्त अधिनियम का एक उपबन्ध लागू नहीं रहा । अतः संविधान लागू करने के तुरन्त बाद निवारक निरोध अधिनियम लागू करना पड़ा । इस अधिनियम को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है । अब कठिनाई यह पैदा हुई है कि जिन मामलों से इस आपातकाल में हमें वास्ता पड़ना है उन पर निवारक निरोध अधिनियम लागू नहीं होता । अतः कुछ लोगों के निरोध के लिये इन अधिनियमों में कुछ उपबन्ध किये जाने हैं । इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि अधिनियम के गिरफ्तारी और निरोधक सम्बन्धी उपबन्ध जिन का अभिप्राय बंदी रखने से ही है पुनः लागू किये जाने हैं । इस सम्बन्ध में निरोध का मतलब बंदी बनाना ही है । एक उद्देश्य यह भी है कि निवारक निरोध अधिनियम के विस्तृत उपबन्धों को लागू करने की बजाये इसी अधिनियम के अधीन गिर-फ्तारी और निरोध किया जा सके ।

दूसरी बात जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है 'विदेशी' शब्द की व्याख्या का विस्तार है । आपात की घोषणा के बाद हमें उन लोगों के बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है जो पहले चीनी राष्ट्रजन थे किन्तु जो बाद में भारतीय राष्ट्रजन बन गये थे । इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान संविधान और भारतीय नागरिकता अधिनियम के कतिपय उपबन्धों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

संविधान के अनुच्छेद ५ के अनुसार ८ लोग भारत में अपने निवास के कारण यहां के नागरिक बन सकते हैं। उस के अनुसार बहुत से चीनी यहां के नागरिक बन गये थे।

अतः समस्या यह है कि जो लोग संविधान के अधीन नागरिक बन गये हैं किन्तु जिनकी निष्ठा उन के मूल देश के प्रति है उन का क्या किया जाय क्योंकि इस का भारत की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

अतः विधेयक के खण्ड २ में लिखा है :

"अन्य किसी विधि में इस समय अन्य उपबन्ध होते हुए भी विदेशियों का पंजीयन अधिनियम १६३६ और विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम १६४६ और उन के अन्तर्गत बनाये गये नियम उस व्यक्ति पर और उस के सम्बन्ध में लागू होंग जिस के दादा नाना उस देश के हों जो भारत से युद्ध ग्रस्त है या भारत पर आक्रमण कर रहा है या जो ऐसे देश का सहायक है जैसे वे उन अधिनियमों में उल्लिखित विदेशियों पर लागू होते हैं।"

इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशियों के रूप में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये वर्तमान संशोधन रखा गया है। इन व्यक्तियों को सामान्य शब्दों में विदेशियों से भिन्न श्रेणी में रखा जा सकता है अर्थात् ये वे लोग हैं जो भारतीय राष्ट्रजन बन चुके हैं किन्तु ज स्वयं या जिन के दादा नाना चीन के थे।

ऐसे व्यक्तियों के आचरण को नियमित और आवश्यक पड़ने पर नियंत्रित करना होगा। आपात काल में इन लोगों को विदेशी समझने की आवश्यकता है ताकि गिरफ्तारी और निरोध की कार्यवाही उन के विरुद्ध की जा सके।

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे लोगों को गिरफ्तार तो किया जा सकता है किन्तु केवल उन्हें देश निकालने के लिये। आपात की घोषणा के बाद उन्हें देश से निकालने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसी लिये विदेशी शब्द की परिभाषा इतनी विस्तृत कर दी गई है कि सभी चीनी उसके अन्तर्गत आ जाते हैं। इससे भविष्य की आकस्मिक स्थितियों का भी मुकाबला किया जा सकेगा।

जहां तक खण्ड ३ का सम्बन्ध है, संविधान के उपबन्धों के अनुसार विदेशियों को बिना अभिलेख के गिरफतार नहीं किया जा सकता। इस प्रयोजन के लिये निवारक निरोध अधि नयम पास किया गया था किन्तु उस के उपबन्ध विस्तृत थे और ऐसे विशेष कदम उठाने पड़ते थे जो आपातकाल में उपयुक्त नहीं हैं। अतः खण्ड २ के अन्तर्गत आने वाले विदेशी को गिरफ्तार, निरुद्ध या नजरबन्द करने के लिये शीघ्र प्राप्त की जा रही है।

विशेष केम्प मैं नजरबन्द करने के लिये और उपबन्ध करने की आवश्यकता है जिसे खण्ड ३(ख) (१) मैं स्पष्ट किया गया है।

नजरबन्द व्यक्ति को सहायता देने के सम्बन्ध में भी वर्तमान आपातकाल को दृपण्टगत रखते हुए दाण्डिक उपबन्धों की व्याख्या की गई है।

खण्ड ४ मैं ऐसे केम्पों मैं जहां विदेशियों को रखा जायेगा जाने के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की गई है। यह केवल अध्यादेश के उपबन्धों को स्पष्ट करने के लिये किया गया है और वर्तमान विधेयक सामान्यतः संविधान के अनुसार पेश किया गया है।

विदेशियों को केवल उस समय नजरबन्द किया जायेगा जब ऐसा करना भारत की सुरक्षा के लिये आवश्यक होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

नेफा तथा भूटान की स्थिति के बारे में व्यक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री को ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में नहीं प्रत्युक्त स्वतंत्र रूप में वक्तव्य देना है । उन के वक्तव्य के बाद में उक्त सूचना को लूंगा ।

†**प्रधान मंत्री वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा और अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय मुझे सभा को अत्यन्त दुखजनक समाचार देना है कि वेलोंग और सेला दोनों स्थानों पर शत्रु ने कब्जा कर लिया है । चुशूल में लड़ाई हो रही है ।

वलोंग में १५।१६ की रात के दो ओर से आक्रमण किया था । १ की प्रातः तक लड़ाई होती रही । शत्रु हवाई पट्टी पर गोले बरसाने में सफल हो गया और वही केवल संभरण का अड्डा था १७ की शाम को हमारी सेना पीछ प्रतिरक्षा की स्थिति में अपने के लिये लौटने लगी ।

जांग के क्षेत्र में शत्रु के १७ नवम्बर को हमारी चौकी पर आक्रमण किया । बाद में बड़ा हमला हुआ और यह चौकी छोड़नी पड़ी । हमारी सेना सेला की मुख्य चौकी पर आ जमी । इस बीच में शत्रु की सेना सेला बोमडिला के बीच हमारी सेना का पथ काट कर निकल गई । उन्होंने १८ की प्रातः को हमला किया और सेला तथा बोम डिला के बीच सड़क काट दी । इन को खदेड़ दिया गया, किन्तु उन्होंने पुनः, एकत्र हो कर आक्रमण किया । स्थिति कुछ उलझन पूर्ण है । लड़ाई जारी है किन्तु हमारे कम्मान्डर को सेला से लौटना पड़ा है ।

चुशूल की हवाई पट्टी पर भारी तोपों का आक्रमण किया गया । हमारी रेजांग तक की चौकी पर १८ की सुबह को हमला किया गया । सख्त लड़ाई के बाद चौकी पर शत्रु का कब्जा हो गया । चुशूल के छै मील उत्तर में एक और चौकी पर भी आक्रमण किया गया है ।

चुशूल के क्षेत्र के अन्य हमलों को खदेड़ दिया गया था ।

यह बुरी खबर । मैं इस के विस्तार में नहीं जाना चाहता । हारों के बावजूद हम किसी भी तरह झुकने के लिये तैयार नहीं हैं और लड़ाई भले कितनी लम्बी हम लड़ेंगें और दुश्मन को देश से निकाल देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जंग की हार और चुशल की नाजुक स्थिति के बारे में सूचनायें प्राप्त हुई है अतः क्या प्रधान मंत्री उन के बारे कुछ और कहेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : मैं जांग और चुशूल के बारे में कह चुका हूं । अधिक नहीं कहना चाहता ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद) : सभा को विपत्तिपूर्ण हारों के बारे में दुख है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मित्र राष्ट्रों से अधिकाधिक शस्त्रास्त्र लेने के लिये कठोर प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सभा को विदित है कि विदेशों से शस्त्रास्त्र और अन्य वस्तुयें मंगाने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है और हमें कुछ सामान मिल भी गया है जो चौकियों पर भेज दिया गया है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : क्या शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के लिये कोई योजना है ताकि पाकिस्तान और चीन के इस समझौते से उत्पन्न स्थिति का मुकबला किया जा सके जिसके अनुसार चीन पाकिस्तान को काश्मीर पश्चिमी बंगाल और असम प्राप्त करने में सहायता देगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न संगत नहीं ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : हमारा जवान मर रहा है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर नहीं दिया जा सकता । माननीय सदस्य बैठ जायें ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : हमें बताया गया था कि १२.३० पर वक्तव्य दिया जायेगा

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के बाद वकफा था, इस लिये मैं ने समझा के अब इसे ले लिया जाये ।

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरा नाम तो इस में है ।

अध्यक्ष महोदद : आप का नाम है और आप सवाल कर सकते हैं ।

श्री बागड़ी : प्रधान मंत्री जी ने जो स्टेट्मेंट दिया उसमें यह तो बतलाया गया कि हमने फौजें पीछे हटा ली हैं । मैं जानना चाहूंगा कि वालोंग की आबादी का क्या हुआ, क्या उसको भी पीछे हटा लिया गया है या उसको चीनियों के हवाले कर दिया गया है । इस पर रोशनी डाली जाये ।

अध्यक्ष महोदय : हवाले करने का तो सवाल पैदा नहीं होता, पर यह सवाल ठीक है, आबादी को पीछे हटाया गया या नहीं ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : इसका जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकता क्यों कि पूरी इत्तला मेरे पास नहीं है । . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति उन्होंने एक प्रश्न पूछा है और प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन के पास यह जानकारी नहीं है और जब भी यह मिले, यह सदन को दी जायेगी . . .
(**अन्तर्बाधा**)

श्री राम सेवक यादव : यह देश की सुरक्षा और आजादी का प्रश्न है . . .

श्री प्रिय गुप्त : इसका जवाब देना चाहिये . . .

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल मैं एलाऊ कर रहा हूं । लेकिन अगर चार चार आदमी एक साथ सवाल करेंगे तो जवाब कैसे दिया जा सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : वालांग और जंग और सेला पास के गिर जाने से एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है और चीनी आसाम की ओर बढ़े चले आ रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

पूरी लड़ाई करेगी, मित्र देशों से सहायता ले कर या युद्ध विराम के आधार पर शान्ति के लिये हर कीमत पर संधि करेगी ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैं ने स्वयं कहा है कि स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है । हमारी सशस्त्र सेनायें मुकाबला करने के लिये जो कुछ भी संभव हुआ करेगी । मैं केवल इतना कह सकता हूं मैं विस्तार में नहीं जा सकता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अब आसाम को शत्रु से बहुत खतरा पैदा हो गया है । चीनियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : हमें इन घटनाओं पर बहुत चिन्ता है और मैं समझ सकता हूं कि आसाम के सदस्यों को अधिक चिन्ता है । हमें इस संकट का मुकाबला करने के लिये हर संभव कदम उठाने चाहियें और मित्र देशों से हर संभव सहायता लेनी चाहिये । इस पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर): हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री इस बात पर और प्रकाश डालें कि उनका क्या पग उठाने का विचार है पहले इस बात के लिये कि सदन को सुचित रक्खा जाये और प्रतिरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक सत्र का सम्बन्ध है, मैं ने श्री कामत को सलाह दी थी कि वह इस प्रश्न को सत्र की समाप्ति के कुछ पहले उठा लें । उस समय टक हमें यह भी मालूम हो जायेगा कि सरकार का इरादा क्या है और संसद् कब और कितनी जल्दी समवेत की जायेगी । जिन सदस्यों को अधिक चिन्ता है--चिन्ता सब को है--वे प्रधान मंत्री से मिलकर निर्णय कर सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा सुझाव है कि युद्ध स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री प्रतिदिन एक वक्तव्य दिया करें । मेरे विचार में इस में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री रंगा** : तीन दिन पहले समाचारपत्रों में समाचार दे दिया गया था कि वालांग आदि गिर चुके हैं किन्तु सदन को आज बताया गया है । क्या सदन को समय पर बताया जाना सम्भव नहीं है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : वालांग परसों किसी समय गिरा था और हमारी जानकारी में सेला कल शाम को गिरा था । सदन की बैठकें शनिवार और रविवार को नहीं हुई और मैंने शीघ्र से शीघ्र सदन को बताया है ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपना सवाल पूछ लिया है । इस वक्त और कोई इन्फ़र्मेशन नहीं है ।

श्री बागड़ी : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस से ज्यादा ज़रूरी और अहम बात देश के सामने कोई नहीं है । इसी के वास्ते इमर्जेन्सी हालात में लोक सभा का इजलास रखा गया था । आज सारा देश इस बारे में उठा हुआ है । जब हम आगे की बात कह कर पीछे जाते हैं, तो देश की मानसिक वृत्ति को ठेस लगती है इस का यह हल है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लोक सभा को साफ़ तरीके से अपना मन बना कर, अपना रास्ता बना कर चलना पड़ेगा । उस के लिए आप बहस के लिए एक और दिन रखें । जो नीति सरकार ने पहले सोची थी, वह नीति

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

फ़ेल हो चुकी है । जो बात हम ने कही थी, वह ग़लत हो चुकी है । जो विश्वास हम ने देश के सामने रखा था, वह पीछे जा चुका है । इसलिए यह ज़रूरी हैं कि दोबारा इस बारे में बहस की जाये और नये सजेस्टियनज़ देश के साम ने रखे जायें, ताकि देश उठे और उस में कमज़ोरी न आये ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ।

विदेशियों सम्बन्धी विधि (लागू करना तथा संशोधन) विधेयक

†**श्री हरिविष्णु कामत (होशंगा बाद)** : सदन मंत्री महोदय से सहमत है कि इस आपात काल में कार्यपालिका को ऐसी शक्तियां दी जायें, जिन का प्रयोग करके उन विदेशियों और अन्य व्यक्तियों से निपटा जा सके, जिन से शान्ति भंग होने का डर हो । मैं विधेयक के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । पहली बात यह है कि विधेयक में यह नहीं बताया गया कि यह कब से लागू होगा ।

अध्यादेश ३० अक्तूबर, १९६२ को जारी किया गया था किन्तु यह कहा गया था कि यह २६ अक्तूबर को लाग होगा । क्या इसे इस तरह भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना उचित है ? अगला प्रश्न माता पिता और दादा दादी के बारे में है । निस्संदेह यह आवश्वक है कि उन लोगों को निरुद्ध करने की शक्ति ली जानी चाहिये जिन्हें सुरक्षा के लिये खतरा समझा जाता है। किन्तु क्या दो पीढ़ियां पीछे चला जाना और यह पूछना कि क्या कोई व्यक्ति ४० या ५० वर्ष पूर्व चीनी मां या बाप से पैदा हुआ था, ठीक होगा ।

मैं आशा करता हूं कि सरकार खंड २ के उपबन्धों को सख्ती से लागू करेगी, क्योंकि इस खंड के अन्तर्गत वे व्यक्ति भी आयेंगे जो कि किसी अन्य राष्ट्र या देश के नागरिक होते हुए चीन को सहायता दे रहा हो । अब देखिये चेकोस्लोवाकिया जो कि एक साम्यवादी देश है, चीन को हथियार भेज रहा है । तो क्या प्रत्येक चेकोस्लोक नागरिक, जिस के मां बाप या दादा दादी चेक थे, इस उपबन्ध से प्रभावित होंगे । यदि कल रूस चीन की सहायता ररने लगे तो क्या रूसी राष्ट्रजनों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ? सरकार को निश्चय कर लेना चाहिये कि चाहे वह किसी देश का नागरिक हो, यदि वह देश चीन की सहायता करता है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

एक और स्पष्टीकरण मैं यह चाहता हूं वह यह कि विधेयक में कहीं 'नज़रबन्द' शब्द की परिभाषा नहीं की गई । ३ नवम्बर के आदेश में तो यह व्याख्या दी गई है, किन्तु विधेयक में नहीं । यह परिभाषा अवश्य दी जानी चाहिये ।

यदि कोई व्यक्ति भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं बल्कि किसी अन्य विधि के अन्तर्गत निरुद्ध या गिरफ्तार किया जाता हैं, तो उस के उस गिरफ्तारी आदि के विरुद्ध न्यायलय की सहायता लेने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये । इस आशय का परन्तुक अवश्व विधेयक में होना चाहिये । जब कोई व्यक्ति भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम या विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकार से वंचित किया जाये, तभी उसके न्यायालय जाने पर रोक लगनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री इन्द्र जीत गुप्त :** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) अध्यादेश में नागरिकता के बारे में जो शब्द प्रयोग किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं : 'जो जन्म के समय था किन्तु इस प्रयोजन के लिए विधेयक में 'किसी समय पर था' शब्द रखे गये हैं । ये दो भिन्न भिन्न चीजें हैं और माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि यह गलती कैस पैदा हुई है नहीं तो इससे कुछ भ्रम पैदा होन की सम्भावना है ।

हमें उन चीनी निवासियों की संख्या बतानी चाहिये जो कि भारतीय नागरिक बन चुके हैं । अधिकांश चीनी दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं और वे विदेशी कहे जा सकते हैं पहले वे जो चीन के राष्ट्रजन हैं और दूसरे वे जिन की कोई रष्ट्रीयता नहीं है क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं बन सके, किन्तु जो कई सालों से इस देश में रह रहे हैं। इन दोनों श्रणियों पर नज़र रखना आवश्यक है और यदि आवश्यक हुआ, तो उन के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

मुझे चिन्ता तीसरी श्रेणी के चीनियों के बारे में है । अर्थात् उन के बारे में जो हमारी रष्ट्रीयता स्वीकार कर के भारतीय नागरिक बन चुके हैं । वे अपनी मातृभूमि से सम्बन्ध तोड़ चुके हैं । उन पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या सरकार अन्य कानूनों के अन्तर्गत इन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती थी । निवारक निरोध अधिनियम है, अन्य कानून भी हैं । इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए जो चीनी होते हुए हमारे राष्ट्रजन बन चुके हैं इस संशोधक विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी सरकार वर्तमान शक्तियों का प्रयोग कर के ही उन्हें गिरफ्तार या निरुद्ध कर सकती है । यदि उन्हें विदेशी' भी माना जाये, तो उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है । तो क्या ऐसी स्थिति में हम अपने ही राष्ट्रजनों को बाहर भेज देंगे ? इस बात का उन भारतीयों पर भी प्रतिकुल प्रभाव पड़ सकता है जो अन्य देशों मैं--सिंगापुर, लंका, हांगकांग, अफरीका आदि में बसे हुए हैं । हमें ऐसा कोई कानून पास नहीं करना चाहिये जिससे अन्य देशों में भारतीयों की कठिनाइयां बढ़ जायें ? क्या सरकार ने यह भी सोचा है कि इस बात से अन्य देशों में कुछ लोग शरारत कर सकते हैं । मैं नहीं चाहता कि अन्य देशों में--चीन को सम्मिलित करके--बसे हुए भारतीयों को पहले से भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : क्या चीन में कोई भारतीय है ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कुछ दिन पहले बताया गया था कि वहां कुछ भारतीय हैं । उन की संख्या मुझे मालूम नहीं है । सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

दूसरा प्रश्न मैं परिभाषा के बारे में कहना चाहता हूं । परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया गया हैं । क्या इस को इतना व्यापक बनाया जा सकता हैं ? उन लाखों लोगों के बारे में क्या होगा जो पाकिस्तान से शरणार्थी बन कर आये हैं ? पुर्तगाल के बारे में क्या होगा ? गोआ में पैदा हुए लोगों के बारे में क्या होगा ? गोआ पुर्तगाली साम्राज्य का भाग था । उन के मां बाप या दादा दादी गोआ में पैदा हुआ हो सकते हैं ? क्या वे इस परिभाषा के दायरे में आते हैं ? इस स्थिति पर विचार करना चाहिये । हमें एक नई चीज़ पारित करके डर पैदा नहीं करना चाहिये कि इन सब लोगों को विदेशी समझा जायेगा ।

जहां तक सामान्य शक्तियों का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर दो रायें नहीं हो सकतीं । हमारे अपने रपट्रजनों की स्थिति को, चाहे वे देश में हैं या विदेश में, कोई खतरा नहीं होना चाहिये ।

†**श्री श्यामलाल शर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : इस मामले में मुझे इस बात की चिन्ता है कि कराकोरम से लेकर नेफ़ा तक सीमान्त की दोनों ओर जनसंख्या ऐसी है कि यह नहीं बताया जा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्यामलाल शर्राफ]

कि कौन चीनी है और कौन नहीं है। इस विषय में बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जब तक सैनिक और असैनिक गुप्तचर विभाग अच्छी तरह तैयार न हों, इस विधेयक के मुख्य उपबन्धों को क्रियान्वित करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने वाले अधिकतर सीमान्तों पर ही घूमते रहते हैं यह बात पाकिस्तानी सीमान्त--विशेषकर जम्मू और काश्मीर के इलाके में—पर विशेष रुप से लागू होती है, क्योंकि पाकिस्तान तोड़ फोड़ करने वाले सीमा के पार भेजते रहे हैं। सरकार को इस ओर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।

†**श्री अ० च० गुहा** (बारासात) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार को भारतीय नागरिकों के प्रति और उनके प्रति जो विदेशी राष्ट्रजन थे किन्तु अब भारतीय नागरिक बन चुके हैं अपने रवैये में विभेद करना चाहिये। हमें युद्धकाल में ऐसे लोगों से विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए हमें उन लोगों से विशेष रूप से सावधान रहना है जो पहले चीनी राष्ट्रजन थे परन्तु अब भारतीय नागरिक हैं। मुझे श्विास है कि यह विधेयक चीनी उद्भव के भारतीय नागरिकों के लिए ही बनाया गया है।

मैं कलकत्ता से आया हूं और वहां बहुत से चीनी नागरिक हैं। हमें इस बात से कुछ दुःख हुआ है कि सरकार का कलकत्ते के चीनियों के प्रति नरम रवैया रहा है। कलकत्ता में बैंक आफ चाइना भी कई वर्षों से चल रहा है। सरकार को इस बैंक की ओर बहुत पहले ध्यान देना चाहिये था। एक सामान्य प्रबन्ध के अनुसार विदेशी बैंक पारस्परिक आधार पर चलाये जा सकते हैं। यदि कोई भारतीय बैंक चीन में चल रहे होते, तो बैंक आफ चाइना भी यहां चल सकता था, किन्तु जह तक मुझे मालूम है, चीन में कोई भारतीय बैंक नहीं है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आया कि भारत सरकार ने बैंक आफ चाइना को क्यों चलने दिया है, जब कि इसकी कार्यवाही भारतीय एकता के हित में नहीं है।

मूल अधिनियम में इसके उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था है। किन्तु न्यायालय ऐसे अपराधों के लिए मामूली दंड देते र हैं। मेरे विचार में सरकार को न्यायालयों को एक परिपत्र जारी करना चाहिये कि यह दंड वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कर दिये जायें और इस मामले में सख्ती से दंड दिये जायें।

यदि पाकिस्तान और पुर्तगाल से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति या शरणार्थी तोड़ फोड़ की कोई कार्यवाही न करे और भारतीय एकता को हानि न पहुंचाये, तो वे वर्तमान विधेयक के दायरे में नहीं आयेंगे।

मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि उसका रवैया उन देशों के प्रति क्या होगा जो भारत के निकटवर्ती देश हैं किन्तु जो भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम, पंजाब और काश्मीर में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार इनके मामले में क्या करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि वह इसे केवल उचित व्यक्तियों पर लागू करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मैं इस विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि यह काफी विलम्ब से लाया गया है । किन्तु यह अब संतोष जनक बात है कि सरकार अब जाग उठी है ।

एक वकील की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि इसका प्रारूप ठीक तरह से तैयार नहीं किया गया । खंड ३ में, गिरफ्तार किया गया, निरुद्ध किया गया या बन्द किया गया, ये शब्द प्रयोग किये गये हैं । कोई कारण नहीं है कि अब इन शब्दों के स्थान पर 'नजरबन्द' शब्द रख दिया जाये । 'नजरबन्द' शब्द का पहले कहीं प्रयोग नहीं किया गया । 'नजरबन्द करना' के स्थान पर 'निरुद्ध करना' शब्द रखे जाने चाहिये थे । यदि 'नजरबन्द' शब्द का प्रयोग किया जाना है, तो इसकी परिभाषा देनी चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने शंका प्रकट की है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति इस विधेयक के कारण कठिनाई में पड़ सकते हैं । मैं उनसे कहूंगा कि यदि पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध करे, तो उन लोगों को इसमें सम्मिलित करने से क्या हानि है और न ही ऐसा करने के लिए कोई रुकावट है । हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति नहीं हो सकती, जो शत्रु की सहायता करते हैं एक ऐसे देश की जो हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है ।

जैसा कि श्री गुह ने कहा है, इस कानून को तुरन्त लागू कर देना चाहिये । हमारे देश एक शान्तिप्रिय देश है और इसने विदेशियों के आने पर कभी कोई आपत्ति नहीं की । बंगाल और अन्य स्थानों पर चीनी बड़ी संख्या में रहते हैं । अब जब कि चीनियों ने हमारे देश पर हमला कर दिया है, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना अत्यावश्यक है ।

†**श्री दातार** : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने विधेयक के उपबन्धों का समर्थन किया है । कुछ माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां उठाई हैं वह अधिकतर गलतफहमी के कारण उठाई गई हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जानना चाहते थे कि संविधान के अनुच्छेद ५ के अन्तर्गत कितने चीनी भारत के नागरिक बन चुके हैं । इनकी संख्या लगभग ४३० थी, बाद में कुछ और व्यक्ति पंजीयन द्वारा भारतीय नागरिक बने और कुल संख्या अब ४४१ है । वर्तमान संशोधक विधेयक के पहले भाग में उन व्यक्तियों के बारे में उपबन्ध किया गया है जिनके माता पिता या दादा दादी भारतीय उद्भव के नहीं बल्कि चीनी उद्भव के थे, किन्तु जो बाद में भारतीय नागरिक बन गये थे । उन पर नज़र रखने के लिए नियम बनाना आवश्यक था । भारत के विदेशी अधिनियम के प्रयोजन के लिए इन व्यक्तियों को विदेशी समझना आवश्यक है ।

मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त की यह बात नोट कर ली है कि इन शब्दों से अन्य व्यक्तियों को कठिनाई हो सकती है । मैं बताना चाहता हूं कि ये शब्द इतनी सावधानी से रखे गये हैं कि जब कोई देश अतिक्रमण करता है या युद्ध करता है, केवल तभी आगे कार्यवाही की जा सकेगी । इसी कारण सक्षम बनाने वाले अधिकार लिये गये हैं । जो भी कार्यवाही की जायेगी, बड़ी सावधानी से विचार करने के बाद की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

जहां तक खंड ४ का सम्बन्ध है, अध्यादेश २६ अक्तूबर, १९६२ को लागू हुआ था और यह विधेयक उस अध्यादेश के अनुसरण में है, ताकि बीच में अवधि-तारतम्य बना रहे। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि 'नजरबन्द' या 'नजरबन्दी' शब्दों की व्याख्या होनी चाहिये। शब्द 'नजरबन्द' स्वयं व्याख्यात्मक है। माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें 'निरुद्ध व्यक्ति' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिये। किन्तु निरुद्ध व्यक्ति आवश्यक रूप से वह व्यक्ति नहीं होता, जिसे वास्तविक नजरबन्द किया जाये। नजरबन्द व्यक्ति को एक विशेष कैम्प में रखा जाता है। निरुद्ध व्यक्ति वह है जो जेलखाने में नजरबन्द हुए बिना किसी विशेष स्थान पर रखा गया हो। मूल अधिनियम की धारा ४(२) में कहा गया है कि नजरबन्द व्यक्ति वह है जिस को किसी नजरबन्दी कैम्प में निरुद्ध किया गया हो। अतः मूल अधिनियम में 'नजरबन्द' व्यक्ति और निरुद्ध व्यक्ति में भेद किया गया है। इन परिस्थितियों में 'नजरबन्द व्यक्ति' की परिभाषा देना आवश्यक नहीं है। स्थिति को विधेयक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। अध्यादेश में तो शब्द थे किन्तु स्थिति पर विचार करके वर्तमान विधेयक में सारी शंकायें दूर कर दी गई हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विदेशियों के पंजीयन सम्बन्धी अधिनियम, १९३९ और विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम, १९४६ को कुछ ऐसे व्यक्तियों पर लागू करने, जिन पर वे इस समय लागू नहीं होते हैं और विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड दो विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री बड़े** : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**श्री हरिविष्णु कामत** : मैं ने राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में जो मामला उठाया था उस का उत्तर नहीं दिया गया । मैं ने सुझाव रखा था कि वही परन्तुक इस अध्यादेश के सम्बन्ध में भी स्वीकार किया जाये जो परन्तुक मूलभूत अधिकारों के निलम्बन के बारे में अध्यादेश के सम्बन्ध में पारित किया था ।

†**श्री दातार** : वह आवश्यक नहीं है । भारत का प्रतिरक्षा विधेयक सदन के सामने है । वह पूरा है । यह विदेशियों के बारे में व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में है । अतः यह आवश्यक नहीं है ।

†**श्री हरिविष्णु कामत**: मैं दोनों अध्यादेशों के बीच के नियमविरोध के बारे में बता रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

धातु के टोकन (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्रालय में उप मं ी (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि धातु के टोकन अधिनियम, १८८९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इस विधेयक का ध्येय सीधा है । धातु के टोकन अधिनियम गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा धातु के टुकड़ों को मुद्रा के रूप में प्रयोग के लिये बनाने और जारी करने के लिये निषेध करना है । यह अधिनियम वर्तमान रूप में १९५६ में राज्यों के पुनर्गठन से पहले जो भाग ख राज्य थ उन पर लागू नहीं होता है । ऐसा इसलिये है, क्योंकि यह अधिनियम जैसाकि १८८९ में पारित किया गया उस समय के ब्रिटिश भारत पर लागू होता था । उन भारतीय राज्यों पर भी लागू होता था जोकि बाद में स्वतंत्र भारत के साथ भाग ख राज्यों के रूप में मिल गये थे । इन राज्यों पर इसलिये नहीं लागू किया गया था कि उन में से कुछ राज्यों की अपनी मुद्राएं थीं । अब इस के लिये कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इन राज्यों का भारत के साथ समन्वय हो गया है । अब तो केवल केन्द्रीय सरकार ही मुद्रा जारी करती है । अतः यह आवश्यक है कि अधिनियम को सारे भारत पर लागू किया जाय । जब अन्य केन्द्रीय अधिनियम इत्यादि भाग (ख) राज्यों और जम्मू और काश्मीर पर लागू किये गये थे तो गलती से यह अधिनियम लागू नहीं किया जा सका । अतः यह विधेयक उस गलती को दूर करने के लिये है ।

इस विधेयक की व्यवस्थायें निर्विवाद हैं और आशा है कि सदन इस विधेयक को स्वीकार कर लेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि धातु के टोकन अधिनियम, १८८९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

कोई भी बोलने के लिये नहीं उठा है ।

प्रश्न यह है :

"कि धातु के टोकन अधिनियम, १८८९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से ४ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड एक अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय" ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाय" ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय :"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पैट्रोलियम पाइप लाईन (भूमि के प्रोयग कँ अधिार का अर्जन) विधेयक

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हजरनवीस)** : श्री के० दे० मालवीय की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम पाइपलाइन विछान के लिये भूमि के प्रयोग के अधिकार के अर्जन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

पाइपलाइनों का प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमें तेल के क्षेत्र मिले हैं और आशा है कि और जांच से देश में तेल का संभरण बढ़ जायेगा । इस बात को सभी मानते हैं कि तेल के परिवहन को कोई तरीका इतना अच्छा और कम खर्च वाला

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है जितना कि पाइपलाइनों द्वारा परिवहन का है । हम ने कुछ पाइपलाइनें बिछाई हैं । पाइपलाइनें उस भूमि पर बिछाई गई हैं जोकि या तो भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत ली गई थी या गैर-सरकारी सन्धि द्वारा । यह आवश्यक नहीं कि पाइपलाइनें बिछाने के लिये भूमि के सभी अधिकार लिये जायें । केवल भूमि प्रयोग करने के अधिकार लेने से कम व्यय होगा । पाइपलानों के लिये हम ने जो भूमि ली है उसे खेती के लिए या अन्य किसी प्रयोग से वंचित रखना उचित नहीं होगा । सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हम ऐसी भूमि नहीं लेंगे जिस की गहराई सतह से एक मीटर से कम हो ।

हमारा इरादा स्वामित्व के अधिकार लेने का नहीं है परन्तु केवल प्रयोग के लिये भूमि लेने का इरादा है ।

यह अधिनियम पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात पर जहां एक तेल शोधक कारखाना या तेल के कुएं हैं लागू किया है । परिभाषा खण्ड का भी कुछ जिक्र करना है । सक्षम प्राधिकारी पहले यह निर्णय करेगा कि कितना प्रतिकर मिलेगा 'निगम' शब्द का साधारण अर्थ है । पैट्रोलियम का भी साधारण अर्थ है । इस के बाद "निर्धारित" शब्द आता है ।

भूमि लेने की प्रक्रिया का आरम्भ खण्ड ३(१) से आरम्भ होता है ।

यद्यपि पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि ली जा सकती है परन्तु हम प्रयोग करने के अधिकार लेंगे । उस के बाद साधारण प्रक्रिया जिस से सदन परिचित है, का पालन किया जायगा । भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत ऐतराज़ किये जा सकते हैं और उन का निर्णय किया जाता है । अधिकार जो लेना है उस का वास्तविक परिमाण की व्यवस्था खण्ड ७ में की गई है ।

कोई भूमि जिस की गहराई भूमि की सतह से १ मीटर से कम है, उसे नहीं लिया जायगा ।

खण्ड १० प्रतिकर की व्यवस्था करता है जिस का निर्धारण पहले सक्षम प्राधिकार करेगा और यदि कोई झगड़ा हो तो जिला न्यायाधीश निर्णय करेगा ।

उपखण्ड (४) के सम्बन्ध में सदन इस बात को देखेगा कि हम उदार रहे हैं । हम केवल अनुमानित हानि या उस का १० प्रतिशत ही नहीं दे रहे हैं भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन बाज़ार की कीमत और १५ प्रतिशत देना होता है । हम प्रतिकर के साथ बाज़ार की कीमत का १० प्रतिशत दे रहे हैं ।

यह बात स्पष्ट है कि प्रयोग करने का अधिकार मिलने के बाद भूमि के स्वामी को उन की इच्छानुसार उस भूमि के प्रयोग की आज़ादी होगी । पाइपलाइन को कोई हानि नहीं होनी चाहिये । यह स्थिति धारा ९ ने स्पष्ट कर दी है ।

ये विधेयक की विशेष बातें हैं । मैं सदन को विधेयक स्वीकार करने के लिये आग्रह करता

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के प्रयोग के अधिकार के अर्जन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

प्रतिकर देने के सम्बन्ध में सब से खराब व्यवस्था है । प्रतिकर की दर और उस के देने का तरीका दोनों में कुछ परिवर्तन करना चाहिये । ताकि विधेयक ठीक हो जाय । जिस व्यक्ति की भूमि ली जायगी उस की सूचना उसे मिलनी चाहिये ।

खण्ड ५(१) के अन्तर्गत इतराज सुनने की अवधि केवल २१ दिन की होनी चाहिये । यह बढ़ा कर ३१ दिन कर दी जाय ।

भूमि लेने की अवधि एक वर्ष की बजाय ६ महीने कर देनी चाहिये । यदि भूमि लेने की आवश्यकता ६ महीने में नहीं पड़ती तो यह समझ लेना चाहिये कि सरकार को उसकी आवश्यकता नहीं ।

"बाजार का मूल्य" अस्पष्ट शब्द है । यह कैसे निर्धारित की जायगी इसे स्पष्ट करना चाहिये ।

जैसा कि भूमि अर्जन विधेयक में व्यवस्था है, प्रतिकर बाजार के मूल्य का १५ प्रतिशत होना चाहिये ।

खण्ड १३(२) में व्यवस्था है कि सम्बन्धित प्राधिकारी के विरुद्ध हानि के लिये कोई मुकद्दमा नहीं चल सकेगा जोकि जान बूझ कर न किया गया हो । यह विधेयक में नहीं रहना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री बड़े (खारगोन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो दि पैट्रोलियम पाइप-लाइन्ज (एक्वीजीशन आफ राइट आफ यूजर इन लैंड) बिल रखा गया है, देखने में तो वह छोटा सा लगता है, लेकिन उसमें ऐसे प्राविजिन्ज रखे गये हैं, जिनसे काश्तकारों और साधारण जनता को काफी तकलीफ होगी । लैंड को एक्वायर करने के लिये लैंड एक्वीजीशन एक्ट में जो प्राविजन है, उसको बालाये-ताक रख कर शासन एक नया छोटा सा बिल सदन के सामने लाया है ।

बिल के स्टेटमेंट आफ आवजेक्ट्स एंड रीजन्ज में कहा गया है :

> "यद्यपि भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अन्तर्गत ऐसे पाइपलाइन लगाने के लिये भूमि ली जा सकती है, इसके लिये प्रक्रिया लम्बी और अधिक खर्च वाली होगी ।"

लैंड को एक्वायर करने का प्रोसीड्यर लांग-ड्रान और कास्ट्ली न हो, इसके लिये यह बिल लाया गया है । इस बिल की धाराओं को देखने से मालूम होता है कि शासन जनता के राइट्स को बालाये-ताक रख कर, उनको नष्ट करके, एक प्रजातंत्र में नागरिक को जो प्राइवेट राइट्स प्राप्त होते हैं, उनकी हत्या करके, इस कानून को पास कराना चाहता है । स्टेटमेंट आफ आवजेक्ट्स एंड रीजन्ज में बड़े सुन्दर शब्दों में बताया गया है कि चूंकि पैट्रोल से संबंध रखने वाले पदार्थों का उत्पादन बहुत बढ़ने वाला है, इसलिये जनता के हित में पाइपलाइन डालने के लिये लैंड को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया है ।

क्लाज ३ में लिखा गया है कि अगर किसी लैंड में राइट आफ यूजर को एक्वायर करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आफिशल गजेट में नोटिफिकेशन जारी किया जायगा । उसमें यह नहीं लिखा

---

†मूल अंग्रेजी में

हुआ है कि सम्बद्ध व्यक्ति पर नोटिस सर्व किया जायगा, पर्सनल सर्विस की जायगी। क्लाज ५(१) में लिखा गया है :

कोई व्यक्ति जो भूमि से हित रखता हो वह २१ दिन के अन्दर पाइपलाइनें बिछाने पर इतराज कर सकता है।"

इसका अर्थ है कि काश्तकार को इक्कीस दिन की अवधि आब्जेक्शन फाइल करने के लिये दी जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल इंगलिश का प्रयोग होता है और काश्तकार को यह मालूम भी नहीं होगा कि आफिशल गजेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस अवस्था में अगर उसकी तरफ से कोई आब्जेक्शन न आया, तो उसकी जमीन ले ली जायेगी।

क्लाज (४)(ई) में लिखा है :—

"यहां अन्यथा खड़ी फसल जंगल इत्यादि को साफ करने के लिये सर्वेक्षण नहीं पूरा किया जा सकता और सीमा आदि नहीं निर्धारित की जा सकती।"

इसका अर्थ यह है कि अगर किसी जमीन पर स्टैंडिंग क्राप्स होंगी, तो सरवे किया जायेगा और अगर इस संबंध में अवश्यकता पड़ी, तो स्टैंडिंग क्राप्स का कोई भाग काट कर साफ किया जा सकता है। शासन की ओर से ऐसा कोई विचार प्रकट नहीं किया गया है कि अगर किसी लैंड पर स्टैंडिंग क्राप्स होंगी, तो वहां पर सरवे नहीं कराया जायगा।

क्लाज ६ से प्रकट होता है कि पहले राइट आफ यूजर को एक्वायर करने के बारे में आफिशल गजेट में नोटिफिकेशन जारी किया जायगा, फिर इक्कीस दिन का समय आब्जेक्शनस के लिये दिया जायगा और उसके बाद इएक्वीजीशन के बारे में डेक्लेरेशन कर दिया जायगा।

बिल की क्लाज ७ में कहा गया है :

यह भूमि प्रयोग करने का अधिकार केन्द्रीय या राज्य सरकार या निगम को प्राप्त है।"

हम लोगों का विचार यह था कि कारपोरेशन का अर्थ एक आटानोमस बाडी है। लेकिन इस बिल में दी गई "कार्पोरेशन" की डेफिनीशन में सरकार ने अपना वास्तविक उद्देश्य छिपा कर रखा है। इस बिल में क्लाज २(बी) में निगम के बारे में लिखा है :

इससे यह प्रतीत होता है कि प्राईवेट कम्पनीज को भी जमीन एक्वायर करके दी जायेगी। अगर सरकार का उद्देश्य सिर्फ कार्पोरेशन्ज को जमीन देने का होता, तो इस बिल में "कार्पोरेशन" की डेफिनीशन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं इस बात के विरूद्ध हूं कि प्राईवेट कम्पनीज को भी इस प्राविजन में शामिल किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब लैंड एक्वीजीशन बिल पर विचार हो रहा था, तो इसी प्रश्न को लेकर तीव्र असन्तोष प्रकट किया गया था। वही मिसचिफ इस बिल में रख दी गई है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है।

इस बिल में कहा गया है कि कम्पेन्सेशन "टेन परसेंट आफ दि मार्केट वैल्यू आफ दैट लैंड" के हिसाब से कैलकुलेट किया जायगा। जहां तक मार्केट वैल्यू का संबंध है, स्टेट्स में मार्केट वैल्यू का हिसाब ट्वेन्टी टाइम्ज दि लैंड रेवेन्यू की दर से लगाया जाता है। अगर लैंड रेवेन्यू पांच रुपये हो, तो मार्केट वैल्यु १०० रुपये हो जायेगी। इसका मतलब है कि "टेन परसेंट आफ दि मार्केट वैल्यु" सिर्फ

दस रुपये होगी। अगर वह कम्पेन्सेशन काश्तकार को नामंजूर होगा, तो कम्पेन्सेशन की रकम डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा निर्धारित की जायेगी। वह मामला डिस्ट्रिक्ट जज को रेफर होगा और उसके फैसले की कोई अपील नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट के अनुसार एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जा सकती है, लेकिन इस बिल में कोर्ट के दरवाजे बन्द कर दिये गये हैं। इस बिल की क्लाज १४ में लिखा है :

"इस अधिनियम में जो व्यवस्था अन्यथा की गई हो उसके अतिरिक्त कोई असैनिक न्यायालय का किसी मामले पर अधिकार क्षेत्र भी होगा जिसका निर्णय सक्षम प्राधिकार कर सकता है।"

इस क्लाज के द्वारा इस मामले में सिविल कोर्ट की जूरिस्डिक्शन को खत्म कर दिया गया है। सिविल कोर्ट के दरवाजे बन्द कर दिये गये हैं और इस संबंध में किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई इंजंक्शन नहीं इश्यू किया जा सकेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर लैंड एक्वीजीशन एक्ट में किसी पार्टी को शासन का कम्पेन्सेशन के बारे में निर्णय या आरबिट्रेशन नामन्जूर हो, तो वह कोर्ट से—हाई कोर्ट से भी इंजंक्शन ला सकता है। इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्ज में भी कहा गया है कि कम्पेन्सेशन के बारे में अपील डिस्ट्रिक्ट जज को की जा सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह तो न्याय की हत्या है। अगर किसी पार्टी को डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय मंजूर नहीं है, तो वह सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता है। लैंड एक्वीजीशन एक्ट जैसे बड़े और एग्जहास्टिव कानून को अलग रख कर सरकार एक नया कानून लाती है और उसमें यह व्यवस्था करती है कि प्रोसीड्यर को कास्ट्ली और इनएसपीडिएन्ट न होने देने के लिये कोई पार्टी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकती है। इसलिये यह क्लाज १४ बिल्कुल आब्जेक्शनेबल है और इसको पास नहीं करना चाहिये। क्लाज १०(६) में कहा गया है :

"डिस्ट्रक्ट जज का निर्णय अन्तिम होगा।"

इसका मतलब यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज का डिसिज़न फाइनल है, तो कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। यह वर्ड "फाइनल" बहुत मिसचीवस और डेंजरस है। मैं समझता हूं कि यही शब्द काफी होता, सफिशेंट होता, लेकिन शासन का समाधान इससे नहीं हुआ है और उस ने क्लाज १४ को भी इस बिल में रख दिया है।

काश्तकार को मार्केट वैल्यु का दस परसेंट कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की गई है। प्रश्न यह है कि केवल दस परसेंट क्यों रखा गया है। अगर किसी जमीन के बीच में से पाइपलाइन जाती है, तो वह सारी जमीन उपज के लिये यूजलैस हो जाती है। इसलिये मार्केट वैल्यू के हिसाब से पूरी जमीन का मूल्य दिया जाये।

स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्ज में लिखा है :

"पाइपलाइन बिछाने के लिये प्रयोग करने का अधिकार लेना ही पर्याप्त है।

मैं कहना चाहता हूं कि काश्तकार केवल टेनेंट ही रहता है और उस को केवल राइट आफ यूजर ही प्राप्त है। उसको कोई प्रोप्राइटरी राइट प्राप्त नहीं है। तीस वर्ष के बाद फिर उसको पट्टा मिलता है। इस बिल में केवल राइट आफ यूजर इन दि लैंड की मार्केट वैल्यू के दस परसेंट के हिसाब से कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की गई है, जमीन की मार्केट वेल्यु के दस परसेंट के हिसाब से नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि काश्तकार की सारी जमीन उपज के योग्य नहीं रहेगी, इस लिये उसको पूरी जमीन की मार्केट वैल्य देनी चाहिये।

जैसाकि अभी आनरेबल मेम्बर ने कहा है, इस बारे में बड़ा झगड़ा होता है कि मार्केट वैल्यु क्या है। लैंड एक्वीजीशन एक्ट में भी बहुत झगड़ा होता है और कई साल तक झगड़ा चलता रहता है। यहां तक कि मामला हाई कोर्ट तक जाता है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि शासन कम मार्केट वैल्यु निर्धारित करता है और काश्तकार ज्यादा मांगत है। इस बिल में हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के दरवाजे बन्द कर दिये गये हैं। केवल डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील हो सकती है।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट।

श्री बड़े : डिस्ट्रिक्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती है। मैं समझता हूं कि अगर क्लाज १४ को निकाल दिया जाये, तो साधारण जनता के हक सुरक्षित हो जायेंगे।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर)** : मेरा पहला इतराज है कि भूमि के प्रयोग करने के अधिकार का समय निर्धारित नहीं किया गया है साधारणतया इस अधिकार का भूमि के स्वामी द्वारा विरोध किया जा हकता है। परन्तु यह व्यवस्था की गई है कि न्यायालय में यह मामला नहीं ले जाया जा सकता। फिर भी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

सहाय प्राधिकार की परिभाषा दे देनी चाहिये। जिला-स्तर पर वह सब डिवीजनल अधिकारी से कम नहीं होना चाहिये।

जो भूमि ली जाये उस के वार्षिक उत्पाद के हिसाब से प्रतिकर निर्धारित करना चाहिये। बाजार का मूल्य तो अस्पष्ट है।

प्राइवेट कम्पनी को खेती की जाने वाली भूमि नहीं लेने देना चाहिये। केन्द्रीय और राज्य-सरकारों को ही भूमि लेने का अधिकार होना चाहिये।

जिन की भूमि ली जाये उन्हें इस बात की व्यक्तिगत सूचना मिलनी चाहिये।

यहां मुरब्बाबन्दी की जा चुकी है इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि "नाकों" को टुकड़ों में नहीं लेना चाहिये।

श्री सोनावने (पंढारपुर) : अधिसूचना में जो भूमि का भाग लिया जाना है उसका जिक्र होना चाहिये। केवल 'भूमि' शब्द लगाना पर्याप्त नहीं है।

अधिसूचना जारी किये जाने के कई दिन बाद लोगों को मिलती है। अतः उन्हें इतराज उठाने में कठिनाई होती है। स्थानीय पत्रों में भूमि लिये जाने के बारे में काफी प्रचार होना चाहिए ताकि सम्बन्धित व्यक्तियों को इस की ठीक समय पर जानकारी मिल जाए।

जो भूमि का टुकड़ा लिया जाना है उस का जिक्र किया जाना चाहिये ताकि उस भूमि को छोड़ कर भूमि मालिक अपनी भूमि के अन्य भाग का अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकता है केवल "भूमि" शब्द के प्रयोग से वह ऐसा करने से वंचित रहेगा।

पाइपलाइन सीधे रखने का इरादा है। इससे मकानों को भी नुक्सान होगा। इस बात का भी माननीय मंत्री को जिक्र करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस :** मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि जिस व्यक्ति की जमीन ली जानी है उसे व्यक्तिगत रुप से सूचना दी जानी चाहिये । हम खण्ड १७ (१) के अन्तर्गत नियम बना सकेंगे। मेरे विचार में यह मामला खण्ड १७ (२) (क) के अन्दर भी आता है। खण्ड १७ (१) के अधीन जो नियम बनाए जाएंगे उन में व्यवस्था की जाएगी कि जिन व्यक्तियों के नाम सरकारी अभिलेखों में हैं उन्हें नोटिस जारी किये जाएं। कानूनी तौर पर भूमि का कौन मालिक है इस बात का निर्णय करना कठिन होगा। अतः सरकारी अभिलेखों में जिनके नाम हैं उन्हें नोटिस जारी किये जायेंगे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि जब नियम बनाए जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

'बाजार कीमत' की परिभाषा देने से वे शंकाएं पैदा होंगी जो वैसे भी हैं। प्रतिकर का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की जायदाद ली जाए उसे उतना लाभ हो जाए जितना कि उसके वह जायदाद रहने से होता। कई वर्षों से सार्वजनिक काम के लिये भूमि ली जाती है। प्रतिक सदैव बाज़ार कीमत के हिसाब से ही निर्धारित किया जाता है। प्रतिकर का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की चीज ली जाये उसे हानि नहीं होनी चाहिये, क्योंकि उसे सम्पत्ति देनी पड़ी है और उसे वह राशि मिलनी चाहिये जो उसे मिलती, यदि वह सम्पत्ति बाजार में बेची जाती।

प्रयोग करने वाले के अधिकार मालिक से बहुत कम होते हैं। हमें बाज़ार के मूल्य के १० प्रतिशत देना चाहिए परन्तु हम १५ प्रतिशत दे रहे हैं जोकि भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत जो मिलता उस से भी अधिक है। भूमि अर्जन में तो स्वामित्व के अधिकार भी मिल जाते हैं।

जब भी वृक्षों या खड़ी फसलों को हटाया जाएगा तो उस का प्रतिकर दिया जाएगा। हम ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है जिस भूमि के नीचे पाइपलाइन लगाये गए हैं उसके अस्थायी तौर पर अलहदा होने का ध्यान रखा जाएगा। चल या अचल किसी भी सम्पत्ति को जो हानि होगी उसका भी ध्यान रखा जायेगा।

प्रतिकर देने के काम के लिये कोई सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जायेगा जोकि राजस्व कानूनों, भूमि कानूनों और भूमि की कीमतों इत्यादि को जानता हो। इस सम्बन्ध में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत होगी वह जिला न न्यायाधीश के पास जाएगी जोकि तजरुबेकार व्यक्ति है।

इसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है कि उन का निर्णय अन्तिम होगा। आगे अपील नहीं हो सकेगी। असैनिक प्रक्रिया संहिता की धारा ११५ के अधीन अर्जी दी जा सकती है। इस के अतिरिक्त अनुच्छेद २२६ है।

यदि सरकार के विरुद्ध अपील का अधिकार दिया जाए तो यह अधिकार नहीं है; परन्तु यह दायित्व है। सरकार के पास उन को सलाह देने के लिये कानून को जानने वाले कर्मचारी हैं। उनके पास निधियां हैं। वे लम्बी मुकद्दमे बाज़ी कर सकते हैं दूसरा आदमी थक जाएगा।

छोटे भूमि के टुकड़े के लिए क्या प्रतिकर इतना अधिक होगा कि उच्च न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जा सके। मुकद्दमें की लागत प्रतिकर से अधिक होगी। अतः यह बात तो मालिक के हक में है कि इस मामले का निर्णनय नीचे के स्तर पर हो जाये। मैं नहीं चाहता कि सरकार जोकि

---

†मूल अंग्रेजी में

लम्बा मुकद्दमा लड़ सकती है किसी नागरिक पर मुकद्दमा कर के उसे तंग करे। अतः यह व्यवस्था की गई है।

धारा (३) के अनुसार भूमि जो पाइपलाइन बिछाने के लिये काम में लाइ जाएगी जायेगी संविधान के अधीन कोई भी गैर-सरकारी सम्बन्धी तभी ली जा सकती है जबकि यह सार्वजनिक प्रयोजन के लिये हो। जब कोई भूमि सार्वजनिक काम को छोड़ किसी अन्य काम के लिये ली जाए तो मामला न्यायालय में लिया जा सकता है। हमें सार्वजनिक काम का जिक्र नहीं करना चाहिये। यह तो संविधान में ही है।

इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के प्रयोग के अधिकार के अर्जन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यमस्था करने वाले विधेरक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडों पर विचार करेंगे। पहिले पहल हम खंड २ लेंगे। इसमें श्री रंगा, श्री यशपाल सिंह, श्री हिम्मत सिंहजी, श्री नरसिंह रेड्डी और श्री नीरेन्द्रसिंह महेड़ा के संशोधन है ; कोई भी उपस्थित नहीं।

खंड ३ से ८ तक कोई संशोधन नहीं, अतः मैं खंड २ से ८ तक को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ८ तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

खंड २ से ८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ९ से १६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १७ नियम बनाने का अधिकार

†**श्री सिद्धांनजप्पा** (हसन) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन सदन के समक्ष है।

†**श्री हजरनवीस** : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य इस पर जोर दे रहे हैं।

†**श्री सिद्धनंजप्पा** : मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापिस लेने की अनुमति है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन संख्या १ सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य) १९६२-६३

१९६२-६३ के लिये अनुदानों की निम्न लिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना .	६७,००,००,०००
११	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायु सेना	८,००,००,०००
२५	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क . . .	४०,००,०००
२६	निगम कर आदि सहित आय पर कर .	४९,५०,०००
४९	मंत्रिमण्डल . . .	३,००,०००
९७	भारतीय डाक तथा तार विभाग	४,५०,००,०००
१११	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	५६,०००
११४	प्रतिरक्षा पर पूंजी परिव्यय	२०,००,००,०००
१४४	अणुशक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	१,०००

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं । इन मांगों का यह अर्थ है कि सदन ने देश से आक्रान्ताओं को निकालने का पूर्ण निश्चय किया है । बड़ी स्पष्ट बात है कि सैनिक शक्तियों का प्राप्त करना चीनी आक्रान्ताओं को देश से बाहर निकालने के लिये बड़ा जरूरी है । हमें अपने सैनिक बलों को आधुनिक ढंग से संगठित कर अस्त्र शस्त्रों से लैस करना होगा । हम देश की आर्थिक दशा को सुधारने में लगे थे और अब यह भी काम करना होगा । यद्यपि हमारी अर्थ व्यवस्था पर भार पड़ेगा, फिर हमें अपने सीमित साधनों को दूसरी ओर लगाना होगा । विदेशों से हथियारों को प्राप्त करने के लिये काफी विदेशी विनिमय प्राप्त करना होगा । हमने इन मांगों द्वारा ९५ करोड़ रुपया मांगा है । हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि आने वाले समय में विदेशों से निरन्तर हथियार प्राप्त नहीं कर सकेंगे । हमें

---

†मूल अंग्रेजी में

इन्हें अपने देश में ही निर्माण करने की व्यवस्था करनी होगी। हमारे ९५ करोड़ रुपये में से ७५ करोड़ रुपया हथियारों पर खर्च हो जायेगा। २० करोड़ रुपया युद्ध का सामान तैयार करने वाले कारखानों पर खर्च किया जा रहा है। २४ करोड़ रुपया सरकारी कारखानों से बाहर से सामान लेने पर खर्च होगा ४ करोड़ रुपया वायु बल का सामान खरीदने के लिये। इस तरह यह खर्च भी ४८ करोड़ हो जाता है।

इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि हथियार खरीदे जायं परन्तु खरीदे गये हथियार कठोरता से व्यापारिक आधार पर प्राप्त किया जाय। योजनाओं के कार्य को बन्द कर देने तथा सेवाओं में कमी की वार्ता को पुरुत्साहित किया जाय। मेरा यह प्रबल मत है कि हम लोक कल्याण के आधार पर ही अपनी प्रतिरक्षा अर्थ व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं।

साधनों का यहां तक सम्बन्ध है, उसके लिये तो जरुरी है कि नये नये साधन तलाश किये जायं। वर्तमान आपात का सामना करने के लिये ऐसा करना बहुत आवश्यक है। मेरा तो यह भी सुझाव है कि सरकार आपातकाल के लिये बैंकों को स्वयं सम्भाल ले तथा उनके संसाधनों को प्रतिरक्षा के लिये काम में लाए। सट्टेबाजी बन्द कर दी जाय। एक लाख रुपये के ऊपर की निजी थैलियों को स्थगित कर दया जाय। १००० रुपये से ऊपर के वेतनों में ५ से १५ प्रतिशत की कटौती कर दी जाये।

मेरा यह भी सुझाव है कि आपात काल में वदेशिक व्यापार को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। यदि यह सम्भव हो सके तो व्यापार को वस्तु विनिमय के आधार पर चलाया जाये अतिरिक्त कार्य के फलस्वरुप प्राप्त नफे को लिया जाना चाहिये। आज जो आपातकालीन स्थिति है उसमें मद्य निषेध को समाप्त कर देना चाहिए। पड़ती भूमियां भूमिहीन किसानों को दी जाये। यह तो तथ्य की बात है कि अधिकांश सैनिक ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, हमें उनके परिवारों के लिये हर प्रयत्न करना चाहिये। इस हालत में मेरा निवेदन है कि किसी भी किसान को उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे जवानों को अपने अभिनन्दन भेजता हूं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांग के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
९	२४	श्री हरि विष्णु कामत	आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सिपहियों की सेवा लेने की आवश्यकता	१०० रुपये
९	२५	श्री हरि विष्णु कामत	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का विधान और कार्य	१०० रुपये
११	२६	श्री हरि विष्णु कामत	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का विधान शक्तियां और कार्य	१०० रुपये
११	२७	श्री हरि विष्णु कामत	मिग जैट विमानों का रुस सरकार द्वारा सम्भरण की सम्भावनाये	१०० रुपये
४९	३२	श्री हरि विष्णु कामत	आपातकालीन स्थिति में मन्त्रिमण्डलों में मन्त्रियों का कम करना।	१०० रुपये

†**श्री अ० चं० गुहा** (बारसार): इस युद्ध से देश भर में एक अपार उत्साह की लहर दौड़ गई है। देश के सभी लोग एक आवाज से कह रहे हैं कि चीनी आक्रान्ताओं का डट कर मुकाबला करेंगे। देश के अभूतपूर्व उत्साह का लाभ उठाया जाना चाहिये। हमारी सरकार को देश को युद्ध के लिये तैयार करने में काफी गम्भीर प्रयत्न करने होंगे। हमें इस कार्य के लिये अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना होगा। पूरा अनुमान लगाना तो कठिन है परन्तु इतना जरुर है कि ९५ करोड़ रुपये के घाटे की कमी को पूरा न करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा करने से मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है। मेरा मत तो यह है कि इस स्थिति में सरकार को अतिरिक्त लाभ कर और पूंजी लाभकर जैसे करों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए थे। अनुमान है कि इस युद्ध पर ३०० से ४०० करोड़ तक का वार्षिक व्यय होगा। और अच्छा होता यदि पहिले से ही इस उद्देश्य के लिये साधनों की व्यवस्था की जाती तो अच्छा था। सरकार इस उद्देश्य के लिये लघु उद्योगों को भी बढ़ावा दे सकती है।

कीमतों को स्थिर रखने के लिये तो केवल करारोपण से ही समाज के धनी वर्ग पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। यदि हम धनी वर्ग की क्रय शक्ति को कम कर दें तो इसके द्वारा भी मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता मिल सकती है। लघु बचत तो है ही अनिवार्य बचत की व्यवस्था की जा सकती है। उच्च वेतन पाने वालों के वेतनों में भी कटौती की जा सकती। ऐसी हालत का निर्माण हो गया तो बड़ी बड़ी व्यापारी संस्थायें भी सरकार से सहयोग करेगी। युद्ध के काल में खरीद और बिक्री काफी होगी, नफा भी होगा, इस नफे का काफी अंश बचाया जाना चाहिये। शराब बन्दी समाप्त करने और नमक पर शुल्क लगाने के सुझाव भी सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

शराब बन्दी के मामले मैं किसी विचारधारा का प्रश्न इस आपातकालीन स्थिति में नहीं जोड़ा जाना चाहिये। इसी प्रकार नमक पर थोड़े से कर से काफी लाभ हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को युद्ध के वित्त पोषण की नीति के सम्बन्ध में घोषणा करनी चाहिये थी। यह बात भुलाने योग्य नहीं है कि युद्ध का वित्त पोषण केवल चन्दे से ही कर लेना सम्भव नहीं है। और यह भी हमें पता है चन्दा देने वाले सब लोग बड़े साधारण व्यक्ति हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार नहीं हैं। हमें कर लगा कर ही धन लेना होगा।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर): आज से आठ वर्ष पूर्व श्री गुह मन्त्री होने के नाते नमक पर शुल्क लगाने के पक्षपाती नहीं थे परन्तु आज स्थिति काफी बदल गयी है। हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना ही है। शराब बन्दी को समाप्त कर देना चाहिये। इससे कोई लाभ भी नहीं हुआ है। नीति के रुप में यह कार्यक्रम बिल्कुल असफल हो गया है। सरकार ने इस युद्ध कालीन अर्थ व्यवस्था को ठीक ठाक रखने के लिये कुछ नहीं किया है। सरकार को युद्ध के वित्त पोषण और देश में मूल्य वृद्धि को रोकने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली अपनी नीति का कुछ संकेत देना चाहिए था।

यह तो सत्य ही है कि आज घर में आग लगने पर हमने खाई खोदना आरम्भ किया है। हमारी स्थिति शोचनीय है और हम विश्व के हास्य के कारण बने हैं। इन दिनों में तो कोई भी अनुपूररक मांगों का विरोध नहीं करेगा। इस सन्दर्भ में मैं यह जरुर निवेदन करुंगा कि संकट को देखते हुए समस्त अनावश्यक व्यय बन्द कर दिये जाने चाहियें। मेरा यह भी निवेदन है कि इस प्रकार के भुगतान, जैसे कि दिल्ली में अर्जित भूमि के प्रतिकर के भुगतान के लिये ६१,००० रुपये की मांग की गयी है, कुछ समय के लिये रोक देने चाहियें। इस बारे में तो कुछ कहने की जरुरत ही नहीं कि अन्य मांगें ४ करोड़ से बढ़नी नहीं चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मोर्चे पर लड़ने वाले जो जवान अविभाजित हिन्दू परिवारों के सदस्य हैं, उनको उनकी भूमि के सम्बन्ध में अनुपस्थित नहीं समझा जाना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो इस बारे में कानून में संशोधन भी कर लेना चाहिये। अधिकतम मितव्ययता बरती जानी चाहिए। राजाओं से यह कहा जाय कि संकटकाल में वे १ लाख रुपये से अधिक न लें। इन शब्दों से मैं प्रतिरक्षा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : इस बात से सब सहमत हैं कि मांग संख्या ९, ११ और ११४ को एकमत से स्वीकार किया जाना चाहिये। क्योंकि इन मांगों का सम्बन्ध प्रतिरक्षा मन्त्रालय से है। परन्तु प्रश्न यह है कि इन ९५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि से क्या होगा। यह कहां तक हमारी सहायता करेंगे ? मेरा निवेदन है कि चीनी अतिक्रमण का सामना करने के लिये सरकार को युद्ध कालीन संगठन बनाना चाहिये। अनुपूरक मांगें पेश करते समय स्थिति की दीर्घकालीन व्यवस्था करनी चाहिए थी। मेरा निवेदन है कि अधिक धन की मांग की जानी चाहिए थी।

यद्यपि प्रतिरक्षा का मामला गोपनीय होता है और सर्वसाधारण को इसके खर्च का पता नहीं चल सकता फिर भी हमें उम्मीद है कि यह रुपया ठीक ढंग से खर्च किया जाना चाहिए। सारे भारतवर्ष में भी प्रतिरक्षा के कार्यों के लिये धन एकत्रित हुआ है। ५ करोड़ के लगभग रुपया सारे देश में से हुआ है ; पंजाब का अंशदान २,७०,००,००० का है।

देश भर में ५ करोड़ रुपये के लगभग जमा हो चुके हैं। इस से पता चलता है कि जनता युद्ध सम्बन्धी तैयारी में बड़ी दिलचस्पी ले रही है। किन्तु केवल इस दान से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। इस के लिये तो समूचे राष्ट्र से धन लेने की जरूरत है। भिखारी, कम वेतन पाने वाला और कम आय वाले सभी लोग धन जुटा रहे हैं, किंतु, जिन लोगों के पास बहुत अधिक धन है वे इस प्रयत्न में उतना योग नहीं दे रहे जितना छोटी आय के लोग दे रहे हैं। हमें उन धनी लोगों से अधिकसे अधिक धन लेने का उपाय करना चाहिये। उन पर अधिक लाभकर तथा अन्य शुल्क और कर लगा देने चाहिये तभी इस महान प्रयत्न में उनका भी योग मिले।

प्रतिरक्षा स्वर्ण बांड और प्रति रक्षा प्रमाणपत्र खरीदना एक धार्मिक कर्तव्य मान लिया जाय और उस के लिये जो पहला ढंग था वह समाप्त कर दिया जाए--लोगों को स्वयं आगे बढ़ना चाहिये।

योजना में जो अनावश्यक बातें हैं उन को हटा देना चाहिये। इस कार्य के लिये मंत्रीमंडल की एक समिति होनी चाहिये जो यह देखे कि योजना की कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी चीजें जरूरी नहीं। हमें योजना को आगे बढ़ाना चाहिये किंतु उस में जो बचत संभव हो वह करनी चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ट्रावनकोर रेअर अर्थस् लिमिटिड को अपने नियंत्रण में ले रही है। अणुशक्ति विभाग को आपनी आवश्यकताओं के लिये इस की बड़ी जरूरत है। मुझे आशा है कि अब पहले जैसा दोहरा नियंत्रण नहीं रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रतिरक्षा की मांगो का समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत के कटौती प्रस्ताव २९ और ३१ अनियमित हैं। किंतु वह इन पर बोल सकते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : हिमालय वर्ती सीमाओं पर हमें जो पीछे हटाना पड़ा है उस से हमारा जो अपमान हुआ है ..

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मा० सदस्य को अपमान' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अवश्य इस शब्द का प्रयोग करूंगा । सभा १०० करोड़ रुपये की की मांगों पर चर्चा कर रही है जिस में से ९५ करोड़ रुपये प्रतिरक्षा तथा सशस्त्र सेनाओं के लिये मांगे गये हैं । सभा इस मांग को इस शर्त पर मंजूर करने को तैयार है कि सरकार अपनी निश्चित नीति बताये कि वह आगामी वर्षों में युद्ध को चलाने के लिये किन उपायों को अपनाने का इरादा करती है ?

प्रधान मंत्री सभा को तथा राष्ट्र को बता ही चुके हैं कि चीन के विरुद्ध युद्ध वर्षों तक चल सकता है , अतः सभा को सरकार की निश्चित योजना मालूम होनी चाहिये कि वह किस ढंग से युद्ध को चलाने का विचार करती है ।

अपने कटौती प्रस्तावों के उद्देश्य के संबंध मैं मैं कहूंगा कि पहले तो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज की सेवाओं का उपयोग उठाना चाहिये जिन्हें गुरीला युद्ध का अच्छा प्रशिक्षण तथा अनुभव है। उन में जो बूढ़े हैं, वे हमारे युवकों को प्रशिक्षण दे सकते हैं तथा युवक लोग युद्ध पर जा सकते हैं ।

यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् स्थापित कर दी गई है, किन्तु यह समूची सभा इस बात के लिये उत्सुक है कि वह परिषद् किसी भी प्रकार संसद् के कार्यों तथा शक्तियों को अपने हाथ में न ले। विशेष रूप से इस कारण की हम इस संकट काल में भी प्रजातंत्र को कायम रखना चाहते हैं और तभी साम्यबाद को जीता जा सकता है।

सभा को यह जानने का हक है कि किस दिन युद्ध की क्या स्थिति है, और सरकार उस स्थिति को संभालने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है और संसद् से युद्ध संबंधी प्रयत्नों के बारे में मंत्रणा तो जारी ली जानी चाहिये । यह परिषद् दूसरे ढंग से उपयोगी काम कर सकती है । संसद् को इस संकट काल मैं सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहना चाहिये ।

हमें अपना विमान बल भी खूब बढ़ाना चाहिये । प्रधान मंत्री ने कहा है कि रूस हमें मिग जैट विमान देने को तैयार है । किन्तु बाद में 'टाइम्स आफ इंडिया" मैं यह समाचार प्रकाशित हुआ कि रूसी दूतावास के अधिकारी ने प्रधान मंत्री की बात का खंडन किया। सभा तथा देश इस स्थिति की सही हालत जानने को उत्सुक है । मैं सभा पति से प्रार्थना करूंगा कि वह मंत्री जी से कहें कि वह ठीक स्थिति बतलायें ।

पता चला है कि नाम निर्देशित प्रतिरक्षा मंत्री ने दो दिन पहले कहा है कि वह यह विश्वास करते हैं कि रूस भारत की सहायता नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि रूस हमारे प्रधान मंत्री की आशा पूरे और अपने वचन को पूरा करे। परन्तु प्रधान मंत्री हमें इस की सही स्थिति से अवगत करायें ।

इस संकट काल में हमें सब से अधिक ध्यान लड़ने वाले जवानों की सहायता करने के लिये धन जुटाने की ओर लगाना चाहिये । अतः हमें ऐसे अवसर पर मद्य निषेध नीति को त्याग देना चाहिये। हमें अपनी सेवा मद्यनिषेध की नीति पर कुर्बान नहीं करनी चाहिये । मद्य निषेध करने से एक तो राजस्व की हानि होती है , दूसरे प्रशासन का भ्रष्टाचार तथा जन जीवन की अवनति तथा धोखे बाजी होती है । यह मद्य निषेध का परिणाम निकला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि मद्य निषेध से कुछ लाभ हुआ होता तो हम इसका समर्थन कर सकते थे किंतु इस के विपरीत प्रत्येक राज्य की समिति ने यही रिपोर्ट दी है कि यह नीति असफल रही है । अतः हमें झूठे मान पर नहीं रहना चाहिये । जो व्यक्ति इसे सफल मानता है वह झूठ कहता है और राष्ट्रीय युद्ध प्रयास में भी विघ्न डालता है ।

मद्य निषेध लागू करने पर केवल छः राज्यों में छः करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ था। किन्तु पुस्तकालय भी इस से होने वाली आय की हानि का अनुमान नहीं बता सका । इंडियन ऐक्सप्रेस ने लगभग ३०० करोड़ रूपये राजस्व हानि का अनुमान लगाया है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : विचित्र बात है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि यह गलत है तो सरकार इन के सही आंकड़े बताये । उपाध्यक्ष महोदय के मैसूर राज्य के मुख्य मंत्री ने सभामें बताया है कि मद्य निषेध संबंधी अपराध प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। बंबई में इसका अनुभव और भी बुरा है । अतः मैं ने कहा है कि यह भी सर्वथा धोखा है । मुझे आशा है कि यदि सभा के सब सदस्यों को तथा दोनों दलों को स्वतंत्र मत देने की अनुमति दी जाए तो सब लोग इस मद्य निषेध नीति का विरोध करेंगे । इस नीति को अपना कर हमारे जवानों के प्रति अन्याय करना है ।

मंत्री मंडल में भी पुनर्गठन करने की आवश्यकता है । देश भर में मांग हो रही है कि प्रशासनिक तथा सरकारी काम को घटाने के लिये मंत्री मंडल को छोटा करना चाहिये। दान घर से आरम्भ होता है । अतः बचत केन्द्र में शुरू होनी चाहिये पहिले जिसका अनुकरण राज्यों में किया जाए । इस समय ५९ लोग मंत्री मंडल में हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिये न कि दलगत या राजनीतिक आधार पर। मैं एक सुझाव और दूंगा कि जब १९४७ में प्रधान मंत्री अपने दल के बाहर से डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी और डा० अम्बेडकर को अपने मंत्रीमंडल में ले सकते थे तो क्या अबउस से बड़ा संकट नहीं है ? दलबन्दी से परे रहने वाले योग्य व्यक्ति यों को मंत्री मंडल में लाने की आवश्यकता है ताकि युद्ध की तैयारी अच्छी तरह की जा सके। जब तक इस महान कार्य के लिये महान व्यक्तियों को एकत्र नहीं किया जाता युद्ध के प्रयत्नों में कुछ कमी रहेगी । मैं प्रतिरक्षा संबंधी मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से कहूंगा कि वह गम्भीरता पूर्वक मद्य निषेध नीति को छोड़ने तथा मंत्री मंडल का पुनर्गठन करने के बारे में विचार करे।

†**श्री वेंकटा सुब्बेया** (अडोनी) : हम बड़े संकट में हैं । और चीनियों के आक्रमण से स्थिति बिगड़ती जा रही है । किन्तु प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हम उन का मुकाबला करने के लिये कटिबद्ध हैं । किन्तु जिस ढंग से ये मांगे रखी गई हैं उन से कोई गम्भीरता प्रदर्शित नहीं होती । १०० करोड़ रुपये में से ७५ करोड़ रुपये प्रतिरक्षा सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है । देश मातृभूमि की रक्षा के लिये सब कुछ कुर्बानी देने को तैयार है।। देश के साधनों को जमा करने के लिये कोई कसर नहीं रखी जानी चाहिये । युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाते घर पर भी युद्ध की तैयारी होती है । हमें चाहिये कि प्रतिरक्षा पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करें। हमें अपने कृषि, औद्योगिक तथा आर्थिक उपज को भी बढ़ाना चाहिये । जब तक ऐसा नहीं किया जाता, हम इस युद्ध को जारी नहीं रख सकते ।

श्री कामत ने मद्य निषेध को बन्द करने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही है। मैं श्री कामत के कुछ विचारों से सहमत हूं।। इस को लागू करने पर कई करोड़ खर्च हुए हैं । कुछ लोग अनुभव

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वेंकटा सुब्बैया]

करते हैं कि यह सफल नहीं रही। इस के कई कारण हैं --सरकार के साथ साथ स्वयं सेवी संगठन भी अपने कर्तव्य पालन में असफल रहे हैं। क्या अब मद्य निषेध बन्द करने से ३०० करोड़ रुपये सरकार के पास आ जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं कि निहित स्वार्थ-लोग जिन्होंने इस का आश्रय ले कर धन कमाया है, कल राजस्व के तौर पर वह राशि सरकार को दे देंगे।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठ सीन हुए]

क्योंकि अब हर जगह अवैध भट्टियां लग चुकी हैं। अतः हमें अब मद्य निषेध नीति को त्यागना नहीं चाहिये। यदि इसे छोड़ना है तो बाद में धीरे धीरे क्रमानुसार किया जा सकता है किन्तु इस समय नहीं।

जब तक सरकार लोगों पर कर नहीं लगाती और राजस्व लेने के नये उपायों को नहीं ढूंढती देश में मुद्रास्फिति होने का डर है। युद्ध में मुद्रास्फिति होती है और उसका देशवासियों की अर्थ-व्यवस्था तथा योग्यता पर कुप्रभाव पड़ता है। सरकार को युद्ध के लिये पर्याप्त राजस्व जुटाना होगा।

कुछ देश भक्ति की भावना रखने वाले नरेशों ने अपनी थैलियों को स्वेच्छा पूर्वक घटा दिया है। सरकार को चाहिये कि शाही परिवारों की थैलियों का ५० प्रतिशत घटा दें।

हैदराबाद का निज़ाम देश का सब से धनी व्यक्ति माना जाता है उसे अपना धन स्वर्ण बौंडों या प्रतिरक्षा बौंडों में लगाने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों, जमींदारों और उद्योगपत्तियों से धन लेना चाहिये और यदि हम सफल न हों तो उन पर कुछ कर लगाने के लिये विधि बनाई जानी चाहिये।

अल्प बचत अधिक जोश से बचाई जाए क्योंकि जनता का उत्साह इस के लिये बहुत है। सरकार को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये।

अधिकांश राशि सहकारी संस्थाओं में सामान्य लाभ विधि या लाभांशों में रूकी पड़ी है। सरकार को चाहिये कि वह ऐसी विधि बनाएं कि समय और आवश्यकता पड़ने पर कुछ मात्रा में सरकारी कोष में जमा किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री रंग** (त्रिचूर) : मैं जन संघ के नेता तथा प्रजा समाजवादी दल के उपनेता के अधिकतर सुझावों से सहमत हूं। इन के अतिरिक्त हम चाहते हैं कि सैनिक कार्रवाइयों में लगे जवानों को ३० रुपये मासिक तथा वहां युद्ध में मरने वाले सैनिकों के परिवारों के लिये १००० रुपये का अतिरिक्त उपदान देने की आवश्यकता है।

उन सैनिकों के साथ विमान काम करने वाले विमान चालकों आदि के लिये ५००० रुपये तथा जवानों के लिये १००० रुपये का उपदान बढ़ाना चाहिये।

सरकार को इन पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये ताकि लोगों में संतोष की भावना रहे कि इन बीर जवानों की उपेक्षा नहीं की जा रही है, जो अपने जीवन की बलि देकर देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं। सरकार धनाभाव और अन्य लोगों के प्रति भेद भाव की दो

†भल अंग्रेजी में

आपत्तियां उठा सकती है । भेद भाव का उत्तर है कि हम वास्तव में लड़ने वाले लोगों को यह भी विशेष रियायत दे रहे हैं। अतः यह शिकायत नहीं उठती ।

धनाभाव के संबंध में मद्यनिषेध बन्द करने की बात और भी युक्तियुक्त है। मेरा विश्वास है कि हमें जो हानि इस नीति के अपनाने से हुई है वह इसे त्याग देने पर वसूल हो सकती है और काफी धन जमा हो सकता है । ऐसा करने से लोगों का नैतिक बल भी बढ़ेगा और होने वाली बड़ी बदमाशी भी रुक जाएगी । सरकार को नये सिरे से इस पर सोचना होगा ।

मैं भी मद्य निषेध जारी करने का पक्षपाती था किन्तु यह असफल रही है। हमें मानना चाहिये कि एक नवीन कुटीर उद्योग पैदा हो गया है और जो लोग इसे चलाने के लिये रखे गये हैं वे बड़े भारी अपराधी हैं और लाभ कमा कर रहे हैं। इसलिये हमें इस मद्यनिषेध को रोक देना चाहिये। यदि महात्मा गांधी जीवित होते तो वह भी यही बात कहते। कम से कम संकट काल में तो इसे बंद करना ही बेहतर होगा ।

मैं देखता हूं कि हम भी अभी भी युद्ध की जिम्मेवारियों के लिये पूरी तरह तैयार नहीं हैं। कुछ मित्र देशों ने पूछा है कि हमें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि उन को पन्द्रह दिन तक हमारी आवश्यकताओं के अनुमान के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ी। अभी भी उनको पता नहीं कि हमें कितने और कैसे विमान चाहियें । अमेरिका से विमान मांगे गये किन्तु उनको ब्योरा नहीं बताया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें विमान नहीं मिले। हमें यह विश्वास दिलाया जाए कि सरकार हमारी आवश्यकताओं के लिये जागरूक है और इस काम के लिये मंत्रणा देने के लिये सरकार के पास पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ होने चाहियें ।

बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं और हमें पता भी नहीं कि वे कहा तक सत्य है । अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ब्योरा तैयार कर के देखना चाहिये कि कितना सामान हमारे पास है, कितने सामान को मरम्मत कर के ठीक किया जा सकता है और कितने अधिक सामान की और आवश्यकता है। सरकार को यह भी विचार करना चाहिये कि क्या मित्र देशों से विशेषज्ञों को हमारी आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये बुलाना ठीक होगा और किन देशों से ताकि वे हमारे विशेषज्ञों की सहायता कर सकें । प्रतिरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व रखने वाले मंत्रियों को इस बात पर ध्यान पूर्वक विचार करना होगा । सरकार इस संबंध में अपने प्रयत्नों का हमें आश्वासन दे ।

इस में विलम्ब करने की जरूरत नहीं। यह दुख की बात है कि हम विमान-पट्टी खो बैठे हैं। जो हम ने बड़े प्रयत्न से बनाई थी। इस से शत्रु को बड़ा लाभ होगा क्योंकि उनकी भारी सेनाऐं यहां आ चुकी हैं और वे अंशतः आ रही हैं।

ऐसी अवस्था में सरकार को बड़े पैमाने पर विदेशों से सहायता प्राप्त करने का विचार करना चाहिये । सरकार को अपना निश्चय कर के अपने मित्र देशों को सहायता के लिये निमंत्रित करना चाहिये । रूस या किसी ऐसे अन्य देश से सहायता आने के स्वप्न में रहने का समय नहीं है। इस विषय पर हम दूसरे वाद-विवाद में बहुत कुछ कह चुके हैं। और स्थिति की गम्भीरता के बारे में पुनः कहने की जरूरत नहीं है ।

मंत्री मंडल के बारे में मैं कहूंगा कि यहां राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिये । किन्तु साम्यवादी दल उस में नहीं होना चाहिये । इस अवसर पर सरकार को अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा । क्योंकि सभी जनता और राजनीतिक दल यह समझते हैं कि ऐसे अवसर पर साम्यवादी दल पर भरोसा नहीं किया जा सकतप कि वे देश भक्त रहेंगे । किन्तु प्रधान मंत्री ने इसके बारे अभी अपना मत नहीं बदला, यह दुख की बात है।

[श्री रंगा]

एक बात तो प्रधान मंत्री को माननी होगी कि राष्ट्रीय सरकार में साम्यवादियों को स्थान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आसाम और बंगाल में हमने बड़ी भयावनी बातें सुनी हैं। हो सकता है कुछ साम्यवादी देश भक्त बने रहें किंतु उस में दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो उन से मतभेद रखें। और वे अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादियों की तरह बर्ताव करें। जिसका परिणाम भयंकर हो सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में मिली जुली सरकार बनाने का मैं सुझाव दूंगा ताकि सभी विरोधी दलों का जिन में साम्यवादी दल छोड़ा जायेगा, पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके।

मंत्रिमाल के आकार तथा योजना के बारे में यह पता लग चुका है कि प्रधान मंत्री को श्री कृष्ण मेनन के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्री को प्रतिरक्षा मंत्री बनाने के लिये भरोसा नहीं था तभी उन्होंने एक मुख्य मंत्री को इस पद के लिये चुना है, क्योंकि उस व्यक्ति में ऐसी कोई विशेष योग्यतायें नहीं जो अन्य लोगों में नहीं हो सकती। इस से पता चलता है कि वर्तमान मंत्रियों में प्रतिरक्षा मंत्री होने का अपेक्षित नेतृत्व का अभाव रहा है। मैं श्री कामत के इन सुझावों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा कि मंत्रिमंडल तथा प्रतिरक्षा परिषद् का आकार छोटा किया जाये क्योंकि वे सरकार की वर्तमान शक्ति के उपयोग के अन्तर्गत है।

प्रतिरक्षा परिषद् की प्रगति का आज प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया है। हर बात से मंत्रिमंडल की भर्त्सना होती है। प्रजा समाजवादी दल द्वारा रखे गये मंत्रिमडल में अविश्वास प्रस्ताव का हमारे द्वारा समर्थन न करने का यह अर्थ नहीं कि हम उन के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, किन्तु बात यह है कि सरकार में विरोधी पक्षों का विश्वास गिर गया है। परन्तु सत्तारूढ़ दल की संख्या अधिक है और हमें चुप रहना पड़ता है वे जो चाहें करें किन्तु एक समय आयेगा जब उन को बेहतर मंत्रिमंडल बनाने का प्रयत्न करना होगा जो देश का विश्वास संपादन कर सके और विरोधी दलों से पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सके। अब समय है कि मंत्रिमंडल का शीघ्रातिशीघ्र पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

क्या देश के प्रधान मंत्री का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा नहीं है कि वह और कितने ही उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। क्या यह बात उन के लिये ठीक है? क्या वह उन से अपेक्षित कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? इसलिये मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह केवल प्रधान मंत्री के कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह करते रहें और इस देश को योग्य नेतृत्व देते रहें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर): मैं अपने माननीय मित्र श्री रंगा को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी योग्यता से तथ्यों को कितना अच्छी तरह तोड़ा मरोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री को अपने वर्तमान साथियों में से किसी पर भरोसा नहीं था और इसीलिये उन्हें बाहर से प्रतिरक्षा मंत्री मंगाना पड़ा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि संभवतया श्री चि० सुब्रह्मण्यम को भी इसीलिये दिल्ली बुलाया गया था।

मैं चाहता हूं कि माननीय मित्र श्री रंगा यह समझते हैं कि ऐसा कई कारणों से किया जाता है। वह इस ओर ध्यान देते कि ऐसे संकटकाल में उन का ऐसा कहना कितना उचित होगा।

इस के अतिरिक्त मैं उन्हें ब्रिटेन के प्रधान मंत्री द्वारा चीन और भारत के विवाद के कारणों को बताते हुए कहा था कि इस का पहला कारण हमारे प्रधान मंत्री की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। इसीलिये मेरा उन से यही कहना है कि प्रधान मंत्री के बारे में कुछ कहने से पहले उन्हें सोचना चाहिये था कि

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विवाद के सामने उन से आपसी विवाद बहुत तुच्छ है और उन को इन्हें यहां पर नहीं उठाना चाहिये ।

अब मैं इन अनुपूरक मांगों के बारे में कुछ कहूंगा । इन मांगों में प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये उपबन्ध किया गया है । यह लगभग ९५ करोड़ रुपये के हैं और केवल चार महीने के लिये हैं । इस का अर्थ हुआ कि हमें वर्ष में ३०० करोड़ रुपये और चाहियें । मैं चाहता था कि वह इन मांगों को पेश करते समहमें यह भी बताते कि वह इस धन का कहां से उपबन्ध करेंगे? क्या नोट छापेंगे अथवा मितव्ययता करेंगे । यदि मितव्ययता करेंगे तो ऐसा करने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे ।

मैं प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैंने हाल में ही जांच की थी कि हमारे देश में उद्योग में मजदूरों आदि को कुल कितना दिया जाता है । मुझे बताया गया कि यह १००० करोड़ रुपये है । यदि हम उन से इस का १० प्रतिशत ले सकें तो प्रतिवर्ष १०० करोड़ रुपये हमें मिल सकते हैं । आपातकालीन उपबन्धों में हम ने ऐसी व्यवस्था रखो है कि हम कुछ प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन से ले सकते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि एक निश्चित आय तक १० प्रतिशत तथा उस से अधिक आय तक १५ प्रतिशत तक ले लिया जाय जिस से सरकार को उद्योगों से १०० से १५० करोड़ रुपये तक मिल जायें : इस के बाद बड़ी बड़ी संस्थायें आती हैं । जब मजदूर इतना दे सकते हैं तो संस्थाओं को २०० करोड़ रुपये वार्षिक देने चाहियें । ऐसा बिक्रीकर अपवंचन को रोक कर किया जा सकता है । हाल में ही पंजाब के मुख्य मंत्री ने बताया था कि पंजाब से ही २ करोड़ रुपये वार्षिक का बिक्री कर नहीं उगाहा जाता है । इस से स्पष्ट हो जाता है कि बिना कोई कर लगाये हम समस्त देश से ३० करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में पहले प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	१	श्री स० मो० बनर्जी	सैनिकों के लिये रघुरामैया समिति का प्रतिवेदन क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६	२	तदैव	सैनिकों के स्थान पर नियुक्त असैनिक कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६	३	तदैव	आयुध कारखानो की निर्यात क्षमता का विस्तार करने की आवयश्कता ।	१०० रुपये
६	४	तदैव	उत्पादन बढ़ाने के लिये आयुध कारखानों, आर्मी वर्कशापों और टैक्नीकल विकास स्थापनाओं के समन्वय की आवश्यकता	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
९	५	श्री स० मो० बनर्जी	एम. ई. एस. संगठन का विस्तार करने की अत्यन्त आवश्यकता ।	१०० रुपये
९	६	तदैव	सीमा सड़क संगठन का विस्तार करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९	१५	तदैव	औद्योगिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी प्रतिरक्षा स्थापनाओं के तीन स्तरों पर बातचीत, व्यवस्था को पुनः चालू करने की तुरन्त आश्वकयता ।	१०० रुपये
९	१६	तदैव	सेना वर्कशापों को उत्पादन के लिये उपयोग करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९	१७	तदैव	ई. म. ए. ई. तथा स्टेशन वर्कशापों को कंट्रोलर जनरल आफ डिफेंस प्रोडक्शन के अधीन लान की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९	१८	तदैव	पुष्टशरीर टैक्नीकल विशेषज्ञों को वापस बुलाने और उन की आयुध कारखानों में सेवाओं का उपयोग करने की तुरन्त आवश्यकता ।	१०० रुपये
९	१९	तदैव	आयुध कारखानों में तीन शिफ्टें रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
९	२०	तदैव	सामग्री का शीघ्र समाहार करने के लिये दिल्ली में प्रतिरक्षा सम्पर्क यूनिट का विस्तार करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

कार्य मंत्रणा समिति

नवां प्रतिवेदन

श्री रानें : मैं कार्य मंत्रणा समिति का नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगवलवार २० नवम्बर, १९६२/२९ कार्तिक, १८८४ (श) ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

सोमवार, १९ नवम्बर १९६२

२८ कार्तिक, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
२४३	टैंकों का निर्माण	९५३–५४
२४४	दिल्ली में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये मकान .	९५४–५५
२४५	केन्द्रीय चाय मजूरी बोर्ड	९५५–५६
२४६	बाल फिल्म संस्था	९५६–५८
२४७	द्वितीय बाडुंग सम्मेलन	९५८–६०
२४८	पाकिस्तानियों द्वारा राजस्थान से भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण	९६०–६१
२४९	अश्लील फिल्म पोस्टर . .	९६१–६३
२५०	दावा आयुक्तों के रूप में सरपंच .	९६४
२५१	बर्मा में भारतीय .	९६४–६६
२५२	रोजगार तथा जनसंख्या . .	९६६–६८
२५३	जाली पासपोर्ट	९६८–६९
२५४	जकार्ता में भारतीय दूतावास का भवन . .	९६९
२५६	युद्धपोत	९७०
२५७	भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी बुर्ज . .	९७०–७१
२५८	पटसन मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन . . .	९७१
२६१	पटसन मजूरी बोर्ड का अन्तरिम पंचाट . .	९७२–७३
२५९	प्रेस सलाहकार समिति	९७३–७६
२६०	गोआ में विकास योजनायें . . .	९७६–७८
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
५२७	पूंजीगत विनियोजन	९७८
५२८	भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां . .	९७८–७९
५२९	नागा विद्रोही . . .	९७९
५३०	देसाई बैंक पंचाट	९७९

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५३१	आर्डिनन्स कारखानों में उत्पादन	९७९
५३२	मजूरी बोर्ड	९८०
५३३	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में रिपोर्ट	९८०–८१
५३४	यू० एस० आई० एस० में सेना अधिकारी की पत्नी	९८१
५३५	नागा विद्रोही	९८१–८२
५३६	नागालैंड का विकास	९८२
५३७	दिल्ली काम दिलाऊ दफ्तर	९८२–८३
५३८	कटंगा में मारे गये भारतीय सैनिक	९८३
५३९	दिल्ली की बृहद् योजना के लिये भूमि अर्जन	९८३–८४
५४०	पासपोर्ट	९८४
५४१	त्रिपुरा में फैक्टरी निरीक्षणालय	९८४–८५
५४२	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट	९८५
५४३	सीमा सड़क संगठन कार्य में घायल व्यक्ति	९८५–८६
५४४	माइन स्वीपर्स	९८६
५४५	कोरिया का सांस्कृतिक शिष्ट मंडल	९८६
५४६	गोआ में भूतपूर्व सैनिक	९८७
५४७	प्रतिरक्षा असैनिक क्लर्क संघ	९८७
५४८	एडिनबरा मिलिटरी टैट	९८८
५४९	भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता	९८८–८९
५५०	उड्डयन विज्ञान संस्था	९८९
५५१	जीवक्रिया विज्ञान संस्था	९८९
५५२	गन एण्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर	९८९–९०
५५३	उत्प्रवासी श्रमिकों का नियंत्रक	९९०
५५४	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	९९०
५५५	गोआ में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल	९९०
५५६	तीसरी योजना के बारे में त्रैमासिक रिपोर्टें	९९१
५५७	सेना में भर्ती	९९१
५५९	विदेशी सैनिक अफसरों का दौरा	९९२
५६०	प्रति व्यक्ति आय	९९२
५६१	कोयम्बटूर में रेडियो स्टेशन	९९२

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र : ६६३–६५

(१) संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खंड (३) के अन्तर्गत दिनांक ११ नवम्बर, १६६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५१० की एक प्रति जिस में उपरोक्त अनुच्छेद के खंड (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक ३ नवम्बर, १६६२ के आदेश संख्या जी० एस० आर० १४६४ का एक संशोधन प्रकाशित है ।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १६५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) कांच की चादर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६६२) ।

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १६६२ का सरकारी संकल्प संख्या १४ (२)—टी० आर० / ६२ (हिन्दी संस्करण सहित) ।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण ।

(दो) (क) प्लास्टिक (फनौल) फारमेलडीहाइड (मौल्डिग पाउडर) उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६६२) ।

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १६६२ का सरकारी संकल्प संख्या २७ (१) टी० आर० / ६२ (हिन्दी संस्करण सहित) ।

(तीन) (क) बाल बेयरिंग उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६६२) ।

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १०६२ का सरकारी संकल्प संख्या १८ (१) टी० आर० / ६२ (हिन्दी संस्करण सहित) ।

(चार) (क) अलोह धातु उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६६२) ।

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १६६२ का सरकारी संकल्प संख्या २२ (१)—टी० आर० / ६२ (हिन्दी संस्करण सहित) ।

(ग) उपरोक्त अधिनियम की धारा में ३–क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १६ नवम्बर, १६६२ की अधिसूचना संख्या २२(१)—टी० आर० । ६२—१ (हिन्दी संस्करण सहित) ।

(घ) उपरोक्त अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १६ नवम्बर, १६६२ की अधिसूचना संख्या २२(१)—टी० आर० /६२–२(हिन्दी संस्करण सहित) ।

विषय पृ ष्ठ

(ङ) उपरोक्त (क), (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में नियत अवधि के भीतर सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण ।

(३) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत वर्ष १९६० – ६१ के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक लेखे की एक प्रति तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(४) देश में बाढ़ स्थिति के बारे में एक वक्तव्य ।

(५) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ के लिये फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन, तत्संबंधी लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी सहित ।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

राज्य सभा से सन्देश ९९५

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने १५ नवम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पास कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक-सभा-पटल पर रखा गया . ९९५

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ।

विधेयक पुरस्थापित . . . ९९५–९९

(१) पांडिचेरी (संशोधन) विधेयक

(२) राज्य सहयोजित बैंक (विविध उपबन्ध) विधेयक

(३) अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक

(४) कामगर प्रतिकर संशोधन विधेयक

(५) भारतीय, प्रशुल्क (संशोधन) विधयक

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . ९९९–१००२

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने नेफा तथा भूतान की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित १००२–१६

(१) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि विदेशियों संबंधी विधि (लागू करना तथा संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

(२) वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि धातु के टोकन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया।

(३) खान और ईंधन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हजरनवीस) ने प्रस्ताव किया कि पेट्रोलियम पाइप लाइन (भू मे के प्रयोग के अधिकार का अर्जन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३ . . १०१६–२६

वर्ष १९६२-६३ के लिये आयव्ययक (सामान्य) संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। १७ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १०२६

नवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

मंगलवार २० नवम्बर, १९६२/२९ कार्तिक, १८८४(शक) के लिये कार्यावलि —

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६२–६३ पर अग्रेतर चर्चा और पारित किया जाना।

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२ तथा प्रशुल्क विधेयक १९६२, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पर विचार तथा उन का पारित किया जाना।

GMGIPND—LS III—2270 (Ai) LSD—5-1-63—140

पृष्ठ

श्री उ० मू० त्रिवेदी . . . १००५–६

खंड २ से ४ तथा १ . . . १००६–०७

पारित करने का प्रस्ताव––

श्री दातार १००७

धातु क टोकन (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—

श्री ब० रा० भगत . . . १००७–०८

पारित करने का प्रस्ताव १००८

पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि क प्रयोग के अधिकार का अर्जन) बिधेयक

विचार करने का प्रस्ताव १००८

श्री हजरनवीस १००८–०९

श्री दीनेन भट्टाचार्य १००९

श्री बड़े १००९–१३

श्री गोरी शंकर कक्कड़ १०१३

श्री सोनावने १०१३–१५

खंड २ से १८ और १ . . . . . १०१५–१६

पारित करने का प्रस्ताव—

श्री हजरनवीस १०१६

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६२–६३

श्री अ० क० गोपालन १०१६–१७

श्री अं० चं० गुह १०१८

श्री उ० मू० त्रिवेदी १०१८–१९

श्री दी० चं० शर्मा १०१९

श्री हरिविष्णु कामत १०१९–२१

श्री वेंकटासुब्बया १०२१–२२

श्री रंगा १०२२–२४

श्री हरिश्चन्द्र माथुर १०२४–२६

कार्य मंत्रणा समिति

नवां प्रतिवेदन १०२६

दैनिक संक्षपिका १०२७–३१

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पाचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।